—::सर्व शिक्षा अभियान::—

—:: कार्य योजना ::—

(2002-2010)

जिला – डूँगरपुर

मार्गदर्शन एवं समन्वयन

श्री मनोज शर्मा

जिला परियोजना समन्वयक

लोक जुम्बिश परियोजना

डूँगरपुर

-:: प्रस्तुत कर्त्ता::-

श्री देवी लाल पाटीदार
सहायक परियोजना अधिकारी
लोजुप वि.खं - डूँगरपुर

श्री बसंत मेनारिया
सुमित्र दल सदस्य
लोजुप वि. खं. सागवाड़ा,

कम्प्यूटरीकृत
श्री रजनीश पंड्या
कम्प्यूटर ऑपरेटर

सर्व शिक्षा अभियान

कार्य योजना 2002–10

		पृष्ठ संख्या
अध्याय –1	जिला परिदृश्य	1 से 7
अध्याय –2	जिले का शैक्षिक परिदृश्य	8 से 20
अध्याय –3	नियोजन प्रक्रिया	21 से 22
अध्याय –4	सर्व शिक्षा अभियान	24 से 25
अध्याय –5	पहुँच व ठहराव,	26 से 30
अध्याय –6	गुणवत्ता युक्त शिक्षा	31 से 33
अध्याय –7	विशिष्ठ फोकस ग्रुप	34 से 37
अध्याय –8	अनुसंधान एवं मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन	38 से 41
अध्याय –9	प्रबंधन	42 से 52
अध्याय –10	निर्माण कार्य	53 से 56
अध्याय –11	वित्तीय लागत	57 से 62
अध्याय –12	परियोजना की क्रियान्विती	63
अध्याय –13	वार्षिक कार्ययोजना 2003–2004	64 से 66

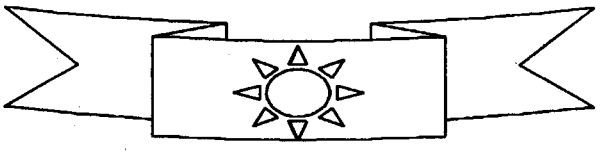

अध्याय – 1
जिले का परिदृश्य

1.1 जिले का ऐतिहासिक परिचय ::–

वर्तमान में राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित डूँगरपुर जिला, पूर्व में "वागड़" प्रदेश के नाम से जाना जाता था । वागड़ प्रदेश की सीमाएं मेवाड़, मालवा और गुजरात को छूते हुये डूँगरपुर को मध्य में अवस्थित करती थी । प्रचलित वागड़ में उस समय डूँगरपुर और बांसवाड़ा दो प्रमुख नगर हुआ करते थे । जिसमें से डूँगरपुर को बड़ौदा प्रदेश जिसे "वट–प्रदक" "बागर" या "वागड़" के नाम से जाना जाता था, कि राजधानी हुआ करता था । जैसा कि किंवदंती है – डूँगरपुर जिले को यह नाम यहां के भील शासक "डूँगरिया" के नाम से उपहार स्वरूप मिला हुआ है । इतिहास से पता चलता है कि – जब डूँगरपुर नगर पर "वीर सिंह देव" का शासन था तब कनबा गांव के "सेठ शाला शाह" की पुत्री जो कि बहुत सुंदर थी, उसके रूप–लावण्य पर मुग्ध हो कर "थाणा" और उसके आस–पास की पालों में शासन कर रहे डूँगरिया ने उससे शादी की इच्छा व्यक्त की । सेठ शाला शाह ने अपनी जातीय प्रतिष्ठा बचाने के लिये "वीर देव सिंह" से रूबरू हो कर स्थिति से अवगत कराया और चालाकी पूर्ण ढंग से डूँगरिया को शादी का न्यौता दे कर शराब की मदमस्ती में डूबो कर परास्त किया । इस छोटे से युद्ध में डूँगरिया मारा गया किंतु वीर देव सिंह ने उसके साहस की ताजपोशी समुचे वागड़ प्रदेश को "डूँगरपुर" नाम दे कर व उसकी पत्नियों के सती होने पर "धन" और "काली" माता के मंदिर बनवा कर की ।

महारावल वीर सिंह देव, राणा सांवत सिंह "मेवाड़" के छठें वंशज थे । वे कालांतर में चित्तौड़गढ़ के युद्ध में अल्लाउद्दीन खिलजी के हाथों रावल भचूंड़ी के विश्वासघाती कारनामों से मारे गये । भचूंड़ी ने इस उपरांत "हनुमंत पोल" का निर्माण करवाया । डूँगरपुर जिले के नामकरण में यह भी धारणा प्रचलित है कि यह नाम इस नगर के पहाड़ियों के बीच घिरी हुई प्राकृतिक स्थिति के कारण इसे डूँगरपुर अर्थात "पहाड़ों की नगरी" नामकरण हुआ ।

"मेवाड़" क्षेत्र में पाये गये "आहड़" सभ्यताकालीन अवशेष जो कि करीब 4000 वर्ष पुराने हैं वे दक्षिणी–पूर्वी राजस्थान के वर्तमान में डूँगरपुर व बांसवाड़ा जिले के क्षेत्रों में पाये गये हैं व सवनियां गांव बांसवाड़ा से खुदाई में मिले हजारों चॉदी के सिक्कों से प्रमाणिक है कि वर्तमान का बांसवाड़ा जिला तात्कालिन "वागड" प्रदेश का ही हिस्सा था ।

ये सिक्के 181 से 353 ईसा पूर्व के समय के बारे में बताते हैं, उन्होंने अपने राज्य की भी स्थापना की थी । जिनका शासन "क्षत्रप" या "शत्रप" जो कि "शक" वंश से थे । पूर्व में इनके संबंध "ईरान" व "अफगानिस्तान" से जुड़ा हुआ था । "शक" कुछ समय पश्चात् पहली सदी में विक्रम संवत् की शुरूआत के समय "अफगानिस्तान" व "भारत" आये । फिर "गुप्त" वंश का कुछ समय शासन चला,

फिर यह "वलल्बी" राज्य का हिस्सा बना । "'बागर" पर समय–समय पर "अरबों" के आक्रमण हुये जो कि सन् 725 ईस्वी से 738 ईस्वी तक चले । फिर मालवाओं एवं परमारों के आक्रमण हुये । इस इलाके की स्पष्ट एवं निरंतर इतिहास का पता हमें 12 वीं शताब्दी के बाद के समय से मिलता है । जब "गुहिल" वंश का शासन था, जो कि "मेवाड" (उदयपुर) के थे, उन्होंने इस इलाके में सैनिक छावनी बना रखी थी ।

यह ख्यात के पता चलता है कि जब "महारावल वीर सिंह देव" का शासन था । यहां के शासकों को "महारावल" की उपाधि से पडौसी जिले उदयपुर के "महाराणाओ" ने अपनी लडाईयों में यहां के शासकों को दी गयी मदद एवं वीरता से प्रभावित हो कर उन्हें "महारावल" की उपाधि से नवाजा । सन् 1433 ईस्वी में "वीर देव सिंह" के वंशज "रावल गोपी नाथ" की विजय इतिहास प्रसिद्ध है, उन्होंने गुजरात के शासक अहमदशाह को हराया था । इन्हीं रावल गोपीनाथ सिंह ने "गेप सागर झील" का निर्माण कराया था, जो आज भी डूँगरपुर शहर के मध्य में अवस्थित है एवं उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करती है । इसी राज्य के एक और प्रसिद्ध महारावल सोमदास जी हुये जो कि 13 वें शासक थे, उनकी गयासुद्दीन एवं महमुद शाह के साथ संधियां हुई थी ।

महारावल उदयसिंह भी अपनी बहादूरी के लिये प्रसिद्ध थे । उन्होंने वागड़ को दो भागों में विभक्त कर दिया । इसका पूर्वी हिस्सा राजधानी डूँगरपुर को बनाया और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को पश्चिमी ईलाका बांसवाड़ा सौंपा इस तरह सन् 1529 ईस्वी में दो स्वतंत्र रियासतों का निर्माण हुआ ।

महारावल आसकरण के समय पर इन इलाकों पर मुगलों के आक्रमण हुये उनके समय में इन इलाकों को स्वयं अकबर ने देखा और आसकरण को अपनी अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिये । उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और इसे उनका औपनिवेशिक राज्य बनवा दिया ।

महारावल पूंजाराज को सम्राट शाहजहां ने सम्मान दे कर नवाजा और उन्हें "मेहीमेरातीब" का शासक नियुक्त किया और "देधाहाजरी" मनसब और "ईज्जत" नामक अनुदान दे कर सम्मानित किया । सन् 1500 ईस्वी में सावर ने उन्हें "दक्कन" क्षेत्र भी सौंपा ।

महारावल राम सिंह के समय इस इलाके को समय–समय पर मराठाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा तथा, यहां के 25 वें, शासक महारावल जसवंत सिंह ने मराठाओं के साथ संधी कर राजगद्दी संभाली । जसवंत सिंह द्वितीय के समय इस राज्य की अंग्रेजी शासकों से संधी हुई और 11 दिसम्बर सन् 1818 से रूपये 17,500/– वार्षिक अंग्रेजी शासकों को भेजे जाने लगे । महारावल लक्ष्मण सिंह ने 5 नवम्बर 1918 को राज गद्दी संभाली और सन् 1948 तक शासक रहे ,जब तक कि यह रियासत स्वतंत्र भारत के राज्य एकीकृत राजस्थान का हिस्सा बना ।

सन् 1945 में "डूँगरपुर राज्य प्रजा मंड़ल" अस्तीत्व में आया और सन् 1946 के अंत तक प्रजा मंड़ल ने स्थानीय शासन तंत्र कायम करने की मांग की जो कि केन्द्र में स्थित सरकार के निर्देशों के अनुरूप शासन कर सके । यह मांग मान ली गयी और यहां का शासन राज्य प्रजा मंड़ल के सदस्यों के हाथों सौंप दिया गया, यह तब तक चला जब तक आधुनिक राजस्थान राज्य का गठन का दौर ने अंतिम स्वरूप नहीं पा लिया था ।

1.2 भौगोलिक परिदृश्य एवं जलवायु ::–

डूँगरपुर जिला राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में 23.200 से 24.010 एवं 73.210 से 74.230 उत्तरी एवं पूर्वी अक्षांश एवं देशांतर पर अवस्थित है । इसके सीमावर्ती जिले बांसवाड़ा एवं उदयपुर हैं तथा यह जिला गुजरात राज्य के दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमाओं के साथ लगा हुआ है । यह जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला है जिसका विस्तार 385592 हैक्टर ही है । यह राजस्थान के क्षेत्रफल का 1.13 प्रतिशत ही बनता है । इस जिले का अधिकतम ईलाका पहाड़ी है तथा इस क्षेत्र में अनुपजाऊ अर्थात् बंजर भूमि अधिक है केवल इसके दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ भागों में खेती होती है ।

जहां तक जलवायु का प्रश्न है जिले की जलवायु शुष्क एवं तापमान 41.50 अधिकतम से लेकर न्यूनतम 5 डिग्री सेलसियस पाया जाता है । यहां का जनवरी माह बेहद ठंडा होता है । यहां औसत वर्षा 710 मिमी दर्ज होती रही है । यहां प्रत्येक वर्ष जलवायु का मिजाज अलग–अलग मिलता हैं वर्तमान में यहां विगत चार वर्षों से भीषण सूखे की स्थिति है ।

1.3 आर्थिक स्थिति ::–

डूँगरपुर एक जनजाति बाहुल्य जिला है । यहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण एवं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, उद्योग धंधे नहीं के बराबर हैं । यहां के लोगों के व्यवसाय एवं आर्थिक कियाकलापों के अनुसार जनसंख्या वितरण निम्नानुसार है –

जिले में कुल 20 उद्योग इकाईयां पंजीकृत हैं, जिसमें खाद्य तेल मिल, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, ऑटोरिपेयर, इत्यादि प्रमुख हैं । ग्रामीण उद्योगों में कुम्हारी, लुहारी, रेशा उद्योग, तेल, साबुन, चर्म, चुना उद्योग, बांस बेंत, ताड़, गुड़ आदि घरेलु उद्योग हैं जो यहां के लोगों को रोजगार एवं आजीविका प्रदान करते है । औद्यौगिकीकरण में मार्बल स्लेब्स, टाईल्स, सोपस्टोन, एवं पत्थर गिट्टी का उत्पादन इस जिले में होता है । एक कपड़ा मिल भी अवस्थित है । कृषि के अलावा पशुपालन भी कई काश्तकारों की आजीविका का साधन हैं जिले में लगभग 6,52,817 लाख पशुधन उपलब्ध है जिसमें गाय, भैसों व बकरियों की संख्या ज्यादा है जो लोगों के दुग्ध की स्वयं की आवश्यकताओं की ही पूर्ति बमुश्किल कर पाते हैं लगातार चार वर्षों से यहां की जनता भीषण अकाल की स्थिति से जुझ रही हैं, अकाल के कारण पशुधन में लगातार कमी आ रही है, चारे की अनुपब्लधता भी एक समस्या है, पशुधन

उन्नत नस्ल के नहीं हैं, जिससे यहां कि 70 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन पर जीवनयापन करने वाली जनसंख्या को जीविकोपार्जन हेतु पडौसी राज्यों में रोजगार हेतु पलायन कर रहे हैं ।

1.4 व्यवसायगत ढॉचा ::–
तालिका कमांक ::–1

क्र. सं.	विवरण	पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
1	स्थाई रोजगार प्राप्त	203530	37.27	69108	12.32	272638	24.63
2	अस्थाई रोजगार प्राप्त	79457	14.55	183428	32.7	262885	23.75
3	बेरोजगार	263109	48.18	308405	54.98	571514	51.62
कुल		**546096**	**100**	**560941**	**100**	**1107037**	**100**

स्त्रोत ::– जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 2001

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि जिले की आधी से अधिक जनसंख्या बेरोजगार है जिनमें कुल जनसंख्या का 12.32 प्रतिशत भाग महिला समुह स्थाई रोजगार प्राप्त हैं तथा 32.7 प्रतिशत अस्थाई रोजगार प्राप्त हैं । जिसमें अधिकांशतः महिलायें दिहाड़ी मजदूर हैं तथा कुल पुरूष जनसंख्या का 37.27 प्रतिशत ही स्थाई रोजगार प्राप्त हैं । इस प्रकार उक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि जिले कि आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी हुयी है । बेरोजगार व्यक्ति अस्थाई रोजगार के लिये गुजरात राज्य में मजदूरी कर अपना निर्वाह कर रहे है ।

1.5 प्रशासनिक ढॉचा ::–
तालिका कमांक ::–2

विवरण	संख्या
उप खंड़	2
विकास खंड़	5
तहसील	4
गांव	871
वासस्थान	866
पंचायत	237
शहरी क्षेत्र	2
पंचायतों में वार्ड की संख्या	
शहरी क्षेत्रों में वार्ड़ की संख्या	43

स्त्रोत ::– जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 2001

1.6 जनसंख्यात्मक वृद्धि ::–

तालिका कमांक ::–3

(अ) जनसंख्या वृद्धि

जनसंख्या	कुल	पुरूष	महिला	लिंगानुपात
जनसंख्या 1991	874000	438000	436000	50.19:49.81
जनसंख्या 2001	1107037	546096	560941	49.33:50.67
जनसंख्या वृद्धि	233037	1080960	124946	46.39:53.61
जनसंख्या वृद्धि दर	26.58	24.67	28.65	

स्त्रोत ::– जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 2001

जिले की 1991 से 2001 तक की जनसंख्या वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह पता चलता है कि इस जिले में महिलाओं का अनुपात पुरूषों की तुलना में बढ़ा है जो कि एक सुखद स्थिति है क्यों कि देश भर में एवं अपने राज्य में भी महिलाओं का प्रतिशत घटा है ।

(ब) आवास के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन ::–

तालिका कमांक ::–4

नाम तहसील	ग्रामीण जन संख्या			शहरी जनसंख्या			कुल जनसंख्या		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
डूंगरपुर	349203	173156	176047	42514	22787	19727	391717	195943	195774
आसपुर	184416	88783	95633	..	..	..	184416	88783	95633
सागवाडा	249919	121053	128866	37629	18638	18991	287548	139691	147857
सीमलवाडा	243356	121679	121677	..	..	..	243356	121679	121677
योग	1026894	504671	522223	80143	41425	38718	1107037	546096	560941

स्त्रोत ::– जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 2001

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि कुल जनसंख्या का 93 प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है जिले में मात्र दो ही शहरी क्षेत्र हैं तथा गांवों में अधिकांशतः बस्तियां समूह में न हो कर बिखरी हुयी बस्तियां हैं ।

(स) जातिवार जनसंख्या का अध्ययन ::–

तालिका कमांक ::–5

क्र. सं	नाम तहसील	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			अन्य			योग		
		योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिल
1	डूंगरपुर	11013	5551	5462	222842	111843	110999	71427	36945	34482	305282	154339	15094
2	आसपुर	8980	4399	4581	71056	36128	36128	66471	32050	34421	146507	71377	7513(
3	सागवाडा	13541	6940	6601	124539	62134	62405	95781	47598	48183	233861	116672	11718
4	सीमलवाडा	6765	3459	3306	157368	79632	77736	24766	12845	11921	188899	95636	9296:
	योग	40299	20349	19950	575805	289737	287268	258445	129438	129007	874549	438024	43622

स्त्रोत ::– जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 1991

प्रतिशत ::– अनुसूचित जनजाति पुरूष 65.83%, महिला 65.85%, एवं कुल 65.84%

प्रतिशत ::– अनुसूचित जाति पुरूष 4.64%, महिला 4.57%, एवं कुल 4.61%

प्रतिशत ::– अन्य जाति पुरूष 29.53 %, महिला 29.57%, एवं कुल 29.55%,

उपरोक्त सारणी यह प्रदर्शित करती है कि यह जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ।

"0 से 6" आयुवर्ग की जनसंख्या उनकी साक्षरता एवं कुल जनसंख्या

तालिका कमांक ::–6

तहसील	कुल ग्रामीण /शहरी जनसंख्या	जनसंख्या			"0 से 6" आयु वर्ग की जनसंख्या			साक्षरता		
		कुल	पुरूष	महिलायें	कुल	बालक	बालिकायें	कुल	बालक	बालिकाये
डूँगरपुर	T	1107037	546096	560941	230089	117240	112849	423744	233846	139898
	R	1026894	504671	522223	218420	111049	107371	369353	252399	116954
	U	80143	4142	38718	11696	6191	5478	54391	31447	22944
आसपुर	T	184416	88783	95633	36418	18850	17568	65429	43877	21552
	R	184416	88783	95633	36418	18850	17568	65429	43877	21552
	U	--	--	--	--	--	--	--	--	--
सागवाड़ा	T	287548	139691	147857	55424	28398	27026	120981	77731	43250
	R	249919	121053	128866	49190	25141	24049	99092	65136	33956
	U	37629	18638	18991	6234	3257	2977	21889	12595	9294
सीमलवाड़ा	T	243356	121679	121677	56230	28260	27970	76828	54812	22016
	R	243356	121679	121677	56230	28260	27970	76828	54812	22016
	U	--	--	--	--	--	--	--	--	--

स्त्रोत ::– जनसंख्या विवरण पुस्तिका भारत सरकार 2001

1.7 वासस्थान का वितरण जनसंख्यात्मक दृष्टि से ::–

तालिका कमांक ::–7

वास्थानों के अनुसार जनसंख्या विभाजन								
आकार(जनसंख्या अनुसार)	<100	100-200	200-300	300-500	500-800	800-1000	1000-5000	>5000
वासस्थानों की सख्या 1097	16	89	123	192	385	219	68	5

स्त्रोत ::– शिक्षा दर्पण 2000 (Updation 2002)

उक्त सांख्किीय ऑकड़ों से यह पता चलता है कि सम्पूर्ण डूँगरपुर जिला गांवों में ही बसा हुआ है, यहां पर दो नगर पालिका क्षेत्र हैं ।

1.8 अन्य संचालित विकास योजनाएं ::–

तालिका कमांक ::–8

कार्यरत अन्य विकास योजनाएं			
नाम योजनाएं	व्यय लाखों में		
	1998-99	1999-2000	2000-2001
जलप्रदाय योजना	72.65	172.92	–
सुखा क्षेत्र में सहायता आवंटित राशि	169.235	195.288	–
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	471.18	558.19	–
इंदिरा आवास योजना	391.37	195.865	–
स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना	480.75	125.31	–
निर्बन्ध राशि विकास योजना	29.64	8.715	–
बत्तीस जिले बत्तीस कार्य योजना	19.52	–	–
स्वर्ण जयंति स्वरोजगार योजना	5.94	2.27	–
सांसद क्षेत्र विकास कोष	141.41	4.7.33	–

स्त्रोत ::– जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 2001

उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि जिले में ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा कई प्रकार की विकास योजनाऐं संचालित की जा रही है जिसका भविष्य में ग्रामीण विकास पर अच्छा असर होने का आसार है ।

अध्याय – 2
जिले का शैक्षिक परिदृश्य

2.1 शैक्षिक विकास का इतिहास :–

डूँगरपुर को देश का प्रथम जनजातीय सम्पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त है। इस जिले में शिक्षा की अलख जगाने के लिये एक नन्हीं विरांगना सुश्री काली बाई का बलिदान इतिहास के पन्नों में स्वर्णीम अक्षरों में लिखा गया है । काली बाई जो कि गुलाम भारत के समय शाला में पढ़ने जाती थी । वनवासी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का साहस पूर्ण कदम पद्म विभूषण श्री भोगीलाल पंड्या द्वारा स्थापित प्रज्ञामंड़ल द्वारा संचालित शालाओं के माध्यम से किया जाता था । उस समय भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था । श्री पंड्या गांधी जी के भक्त थे एवं से सविनय अवज्ञा से आंदोलन से जुड़े हुये थे । शालाओं को बंद करने के लिये अंग्रेजों की एक टोली आयी और उन्होंने शाला बंद करने का आदेश दिया परंतु शिक्षक श्री नाना भाई खांट ने कहा कि शाला तो श्री भोगीलाल जी के कहने पर ही बंद होगी तब अंग्रेजों ने नाना भाई को घोड़े की बग्गी से बांध कर घसीटते हुये पिटाई कर रहे थे, तभी दूर से काली बाई दौड़ कर आयी और कहा कि मेरे गुरूजी को क्यों पीट रहे हो ? इन्हें छोड़ दो विनती के बावजूद अंग्रेजों ने नानाभाई खांट को मुक्त नहीं किया तो काली बाई ने हंसिये से उनकी रस्सीयां काट कर उनको बंधन से मुक्त कराया । तब अंग्रेज गुस्से में आ गये और उन्होंने गोलियों की बौछार शुरू कर दी । अबोध काली बाई वहीं पर ढेर हो गयी । धन्य है काली बाई और उसका बलिदान उसी प्रतिबद्धता से डूँगरपुर वासियों को शिक्षा की अलख बदस्तुर जलती रहे इसका प्रयास करना चाहिये।

डूँगरपुर जिला कृषि आधारित अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यह जिला शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा है परंतु इसके शैक्षिक परिदृश्य में पिछले एक दशक में विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से चलने वाली शैक्षिक परियोजनाओं के माध्यम से शैक्षिक वातावरण बदल गया है । साक्षरता की दर, शिक्षितों की संख्या व शिक्षा के प्रति जागरूकता बढी है । 90 के दशक में जिले में साक्षरता उत्तर साक्षरता एवं सतत् साक्षरता अभियान की प्रभावी संचालन के परिणाम स्वरूप डूँगरपुर को देश का प्रथम सम्पूर्ण साक्षर जनजातिय जिला होने का गौरव प्राप्त है । सतत् साक्षरता केन्द्रों, लोक जुम्बिश परियोजना के बहुआयामी कार्यकमों, सहज शिक्षा केन्द्रों, शिक्षा मित्र केन्द्रों, के यर्थाथ संचालन से एवं शिक्षाकर्मी विद्यालयों, प्रहर पाठशालाओं एवं वातावरण निर्माण के कियात्मक कार्यों ने लगातार शिक्षा की अलख जगाने का ईश्वरीय कार्य मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से किया है । जिले में शिक्षा से जोड़ने

वाले 6 से 11 व 11 से 14 आयुवर्ग के नामांकितों की संख्या एवं ठहराव में आशातीत गुणात्मक अभिवृद्धि हुई है ।

जिले में वर्तमान में चल रही शैक्षिक योजनायें आशा की किरण जगा रही है कि अगले दशक में जिले में बालक एवं विशेषकर बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षण के शत प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है ।

2.2 साक्षरता दर ::–

तालिका कमांक ::–9

साक्षरता दर (प्रतिशत में)										
क.सं.	नाम तहसील	ग्रामीण			शहरी			योग		
		योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला
1	डूंगरपुर	45.95	65.92	28.52	87.66	94.96	79.24	51.83	69.66	34.14
2	आसपुर	44.21	62.74	27.61	--	--	--	44.21	62.74	27.61
3	सागवाडा	49.37	67.91	32.4	69.72	81.92	58.04	52.12	69.84	35.79
4	सीमलवाडा	41.06	58.97	23.49	--	--	--	41.06	58.67	23.49
	योग	45.69	64.12	28.19	79.43	89.25	69.03	48.32	66.19	31.22

स्त्रोत ::– जिला सांख्यिकीय रूपरेखा 2001

विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जिले में साक्षरता की दर बढ़ी है परंतु महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि अपेक्षानुरूप नहीं है इस हेतु बालिका शिक्षा को बढावा देना एवं महिला जागरूकता के अन्य प्रयास किया जाना अपेक्षित है ।

2.3 शैक्षणिक सुविधायें ::–

(अ) औपचारिक विद्यालय ::–

तालिका कमांक ::–10

शैक्षणिक व्यवस्थायें (औपचारिक विद्यालय)

क. सं.	नाम विकास खंड	प्रथमिक			रागापा	उ.प्रा.वि.			शिक्षाकर्मी			संस्कृत			योग		
		राज	निजी	योग		राज	निजी	योग	प्राथ	उ प्रा वि	योग	प्रा थ	उ प्रा वि	योग	प्राथ	उप्रावि	योग
1	डूंगरपुर	169	24	193	150	76	12	88	0	0	0	2	0	2	345		433
2	सागवाडा	163	42	205	188	63	13	76	46	0	46	0	1	1	439	77	516
3	थ्बछीवाडा	149	21	170	287	69	6	75	16	0	16	4	3	7	477	78	555
4	सीमलवाडा	223	16	238	253	63	4	67	8	0	8	1	0	1	500	67	567
5	आसपुर	141	26	167	157	56	15	71	0	0	0	0	0	0	324	71	395
योग		845	129	973	1035	327	50	377	70	0	70	7	4	11	2085	381	246(

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) शाला समंक 2002

शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से जिले में सरकार द्वारा बहुत अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये हैं । बहुत कम वासस्थान ऐसे बचे है जिनमें शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नहीं है परंतु क्षेत्र में शैक्षिक

जागरूकता नहीं होने एवं जिले के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण आशातीत उपलब्धि नहीं मिल पा रही है ।

(ब) अनौपचारिक विद्यालय ::–

तालिका कमांक ::–11

विद्यालयो का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	नामांकन		
		B	G	T
सहज शिक्षा	318	2151	4554	6705
प्रहर पाठशाला	35	21	117	138
शिक्षामित्र	173	1532	2642	4174

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) शाला समंक 2002

लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा दुरस्थ वासस्थानों पर जहां पर शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नहीं है । शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करा कर वंचितों को शिक्षा से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है । यह प्रयास हार्ड़कोर बच्चों पर किया जा रहा है । जिस कारण वातावरण निर्माण एवं अन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है ।

(स) उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान ::–

तालिका कमांक ::–12

संस्थान का नाम	सरकारी	निजी	कुल
सैकेण्डरी	70	5	75
सीनि सैकेण्डरी	54	2	56
स्नातक महाविद्यालय	1		1
स्नात्कोत्तर महाविद्यालय	2	1	3
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1	--	1
बी.एड़ कॉलेज	--	1	1
आई ए. एस ई	--	--	--
आई. टी. आई.	2	--	2
इंजीनियरिंग कॉलेज	--	--	--
विश्वविद्यालय	--	--	--

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) शाला समंक 2002

सारणी कमांक 12 यह प्रदर्शीत करती है कि जिले में उक्त शिक्षा एवं तकनिकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु अन्य जिलों या राज्यों में पलायन करना

पड़ता है । साथ ही आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अधिकांश युवक अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं ।

2.4 नामांकन ::–

(अ) जातिवार नामांकन कक्षा 1 से 8 ::–

तालिका कमांक ::–13

जातिवार नामांकन कक्षा 1 से 8 तक													
क्र स	विकास खंड	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	डूंगरपुर	1610	1076	2686	17087	14818	31905	7627	5964	13591	26324	21858	48182
2	सागवाडा	1537	1231	2768	15084	12149	27233	7332	6409	13741	23953	19789	43742
3	बिछीवाडा	804	632	1436	21471	17178	38649	4865	3572	8437	27140	21382	48522
4	सीमलवाडा	968	886	1854	22494	17194	39688	3636	4868	8504	27098	22948	50046
5	आसपुर	1804	1241	3045	13059	9025	22084	9909	6996	16905	24772	17262	42034
	योग	6723	5066	11789	89195	70364	159559	33369	27809	61178	129287	103239	232526

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) शाला समंक 2002

(ब) कक्षावार नामांकन कक्षा 1 से 8 ::–

तालिका कमांक ::–14

क्र. सं.	विवरण	कक्षा 1			कक्षा 2			कक्षा 3			कक्षा 4			कक्षा 5			कक्षा 6			कक्षा 7			कक्षा 8			कुल		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	डूंगरपुर	7717	6911	1462	4900	4101	9001	4333	3530	7863	3163	2419	5582	2220	1809	4029	1564	1372	2936	1458	961	2419	969	755	1724	2632	2185	4818
2	सागवाडा	6599	6280	12879	4365	4053	8418	3501	3053	6554	3160	2301	5461	2621	1763	4384	1576	1039	2615	1280	801	2081	851	499	1350	23953	19789	43742
3	बिछीवाडा	7734	6190	13924	4324	2398	6722	3238	2485	5723	2847	1949	4796	2279	1671	3950	1790	1172	2962	1481	802	2283	1079	595	1674	24772	17262	42034
4	सीमलवाडा	8348	7130	15478	4679	3951	8630	3570	2928	6498	3572	2543	6115	2833	1914	4747	1618	1160	2778	1284	875	2159	1236	881	2117	27140	21382	48522
5	आसपुर	7662	6483	1414	5996	5143	1113	4168	3070	7238	2990	2089	5079	2118	1307	3425	1211	1598	2809	1759	2307	4066	1194	951	2145	2709	2294	5004
	योग	38060	32994	71054	24264	19646	43910	18810	15066	33876	15732	11301	27033	12071	8464	20535	7759	6341	14100	7262	5746	13008	5329	3681	9010	12928	10323	23252

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) शाला समंक 2002

उपरोक्त सारणी यह प्रदर्शित करती है कि अधिकतर बालक बालिकाएं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं ।

(स) प्रबंध वार नामांकन कक्षा 1 से 8 ::–

तालिका कमांक ::–15

प्रबंधानुसार नामांकन कक्षा 1 से 8

क्र. सं.	नाम विकास खंड	राजकीय विद्यालय			निजी विद्यालय			योग		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	डूगरपुर	20230	17144	37374	6094	4714	10808	26324	21858	48182
2	सागवाडा	20687	17805	38492	3266	1984	5250	23953	19789	43742
3	बिछीवाडा	21482	15364	36846	3290	1898	5188	24772	17262	42034
4	सीमलवाडा	25150	20521	45671	1990	861	2851	27140	21382	48522
5	आसपुर	26029	22332	48361	1069	616	1685	27098	22948	50046
योग		**113578**	**93166**	**206744**	**15709**	**10073**	**25782**	**129287**	**103239**	**232526**

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) शाला समंक 2002

यह सारणी यह प्रदर्शित करती है कि जिले में अधिकतर बालक –बालिकायें राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं ।

(द) नामांकन विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में ::–

तालिका कमांक ::–16

विद्यालयों के प्रकार	कक्षा 1 से 5			कक्षा 6 से 8			योग		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T
प्राथमिक	**54672**	**42536**	**97208**	**0**	**0**	**0**	**54672**	**42536**	**97208**
उच्च प्राथमिक	**31137**	**23465**	**54602**	**15136**	**11181**	**26317**	**46273**	**34646**	**80919**
रा.गा.स्वर्ण जयंति पाठशाला	**28342**	**26057**	**54399**	**0**	**0**	**0**	**28342**	**26057**	**54399**
योग	**114151**	**92058**	**206209**	**15136**	**11181**	**26317**	**129287**	**103239**	**232526**

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) शाला समंक 2002

(य) आयु अनुसार नामांकन ::–

तालिका कमांक ::–17

आयु	कक्षायें								
	1 से 5			6 से 8			कुल		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T
6 वर्ष	483	201	684	0	0	0	483	201	684
6 से 10	93644	75418	169062	0	0	0	93644	75418	169062
11 से 14	0	0	0	34643	27221	61864	34643	27221	61864
14 से अधिक	0	0	0	517	399	916	517	399	916
योग	94127	75619	169746	35160	27620	62780	129287	103239	232526

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) शाला समंक 2002

(र) विद्यालय से वंचित बालकों की संख्या ::–

तालिका कमांक ::–18

क स.	विकास खड़	कुल बालकों की संख्या 6से10 आयु वर्ग			कुल बालकों की संख्या 11से14 आयु वर्ग			कुल शिक्षा से वंचित बालकों की संख्या			
		B	G	T	B	G	T		B	G	T
1	डूगरपुर	14333	12845	27178	6910	5729	12639	ग्रामीण	4504	6864	11368
2	सागवाडा	15421	14173	29594	7885	6662	14547				
3	आसपुर	14402	13062	27464	1776	5652	12728				
4	बिछीवाडा	18739	16762	35501	9359	7675	17034	शहरी	196	233	429
5	सीमलवाडा	21075	19254	40329	9422	7347	16769				
योग	83970	76096	160066	35352	33065	73717		कुल	4700	7097	11797

स्त्रोत ::– शिक्षा दर्पण 2000 जिला डूँगरपुर

"6 से 14" वर्ष की आयु वर्ग के अनुसार वंचित बालक/बालिकायें

क. सं.	जिले का नाम	6 से 14 वर्ष की आयु के वंचित सत्र 2000			Updation ग्रामीण सत्र 2000			Updation शहरी सत्र 2000			कुल वंचित (शहरी+ग्रामीण) सत्र 2000		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	डूँगरपुर	22207	38266	60473	4504	6864	11368	196	233	429	4700	7097	11797

स्त्रोत ::– शिक्षा दर्पण 2000 जिला डूँगरपुर (Updation 2002)

(ल) सकल नामांकन दर ::–

तालिका कमांक ::–19

क.स.	नाम विकास खड़	कुल जनसंख्या 6 से 14 आयु वर्ग			कुल नामांकन 1 से 8 आयु वर्ग			G.E.R.		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	डूंगरपुर	21243	18574	39817	17359	11930	29289	81.7	64.5	73.5
2	सागवाडा	23306	20835	44141	20196	15184	35380	86.6	72.87	80.06
3	आसपुर	21478	18714	40192	18349	12524	30873	85.43	66.92	76.81
4	बिछीवाडा	28098	24437	52535	23323	16543	39866	83.00	67.69	75.88
5	सीमलवाडा	30497	26601	57098	23188	14714	37902	76.03	55.31	66.38
योग		124622	109161	233783	102415	70895	173310	82.18	64.94	74.13

स्त्रोत ::– शिक्षा दर्पण 2000 जिला डूँगरपुर (Updation 2002) एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रा) डूँगरपुर

2.5 ठहराव दर ::–

तालिका कमांक ::–20

क्र. सं.	जिले का नाम	नामांकन वर्ष 1996–97 कक्षा – 1			नामांकन वर्ष 2001–2002 कक्षा – 5			ठहराव दर		
		B	G	T	B	G	T	B	G	T
1	डूंगरपुर	35093	25536	60629	12071	8464	20535	34.39	33.14	33.86
कुल		35093	25536	60629	12071	8464	20535	34.39	33.14	33.86

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रा) डूँगरपुर 2002

2.6 पुनः शाला में प्रवेश लेने वाले बालकों की सूचना ::–

तालिका कमांक ::–21

पुनः शाला में प्रवेश लेने वाले बालकों की संख्या

विवरण	कक्षा								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	कुल
गत वर्ष का नामांकन 2001	37256	35230	31277	21155	18770	14389	10170	9845	179092
उत्तीर्ण छात्र	28314	27831	25022	17347	15766	12375	9153	9156	144964
पुनः प्रवेश लेने वाले बालक इस वर्ष में	5588	5284	1744	1273	1357	782	714	1003	17745
पुनः प्रवेश की दर	15%	15%	5.57%	6.01%	7.22%	5.43%	7.02%	10.18%	9.90%

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रा) डूँगरपुर 2002

2.7 अध्यापकों की स्थिति ::–

तालिका कमांक ::–22

क्र स	ब्लॉक का नाम	रा प्राथमिक			रा गां पा			रा उ प्रा वि			शिक्षाकर्मी			संस्कृत			योग		
		पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
1	डूंगरपुर	232	139	371	120	30	150	333	134	467	0	0	0	0	0	0	685	303	988
2	सागवाडा	274	103	377	167	94	261	324	72	396	18	11	29	40	5	45	823	285	1108
3	आसपुर	279	79	358	153	21	174	302	62	364	0	0	0	0	0	0	734	162	896
4	बिछीवाडा	300	118	418	245	115	360	340	123	463	0	0	0	0	0	0	885	356	1241
5	सीमलवाडा	401	127	528	260	32	292	319	105	424	0	0	0	0	0	0	980	264	1244
6	योग	1486	566	2052	945	292	1237	1618	496	2114	18	11	29	40	5	45	4107	1370	5477

स्त्रोत ::–जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रा) डूँगरपुर 2002–2003

(ब) अध्यापकों का जातिवार विवरण ::–

तालिका कमांक ::–23

क्रमांक	विकास खंड का नाम	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			कुल		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	डूंगरपुर	23	8	31	283	93	376	259	172	431	565	273	838
2	सागवाडा	43	6	49	125	19	144	430	150	580	598	175	773
3	आसपुर	35	4	39	127	26	153	419	111	530	581	141	722
4	बिछीवाडा	25	12	37	362	102	464	253	127	380	640	241	881
5	सीमलवाडा	29	5	34	253	43	296	438	184	622	720	232	952
	कुल	155	35	190	1150	283	1433	1799	744	2543	3104	1062	4166

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रा) डूँगरपुर 2002–2003

(स) अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण ::–

तालिका कमांक ::–24

क्र. सं.	विकास खंड़ का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			रा गा पा		
		पद स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त पद	पद स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त पद	पद स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त पद
1	डूंगरपुर	375	371	4	497	467	30	173	169	4
2	सागवाडा	375	377	72	435	396	39	213	207	6
3	आसपुर	374	358	16	372	364	8	184	180	4
4	बिछीवाड़ा	423	418	5	489	463	26	328	321	7
5	सीमलवाडा	550	528	22	469	424	45	290	287	3
	कुल	2097	2052	20	2262	2114	148	1188	1164	24

2.8 अध्यापक छात्र अनुपात का विवरण ::–

तालिका कमांक ::–25

अध्यापक छात्र अनुपात (T.P.R.)

क्र. सं.	विकास खंड का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			राजीव गांधी		
		नामांकन	अध्यापकों की संख्या	TPR	नामांकन	अध्यापकों की संख्या	TPR	नामांकन	अध्यापकों की संख्या	TPR
1	डूंगरपुर	14313	371	38.6	16696	467	35.75	6368	150	42.45
2	सागवाडा	15337	377	40.7	13936	396	35.19	9319	261	35.7
3	आसपुर	12124	358	33.9	12034	364	33.06	8745	174	50.26
4	बिछीवाडा	15658	418	37.5	16469	463	35.57	13529	360	37.58
5	सीमलवाडा	20587	528	39	14746	424	34.78	13932	292	47.71
	योग	78019	2052	38	73881	2114	34.94	51893	1237	41.95

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रा) डूँगरपुर 2002

2.9 विद्यालयों की उपलब्ध मूलभूत सुविधायें ::–

(अ) राजकीय स्कूलों के भवनों की स्थिति ::–

तालिका कमांक ::–26

विद्यालय भवन केवल राजकीय विद्यालय

क्र. सं.	विकास खंड का नाम	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			राजीव गांधी पाठशाला		
		विद्यालयों की संख्या	भवन सहित	भवन रहित	विद्यालयों की संख्या	भवन सहित	भवन रहित	विद्यालयों की सख्या	भवन सहित	भवन रहित
1	डूंगरपुर	169	158	11	76	73	3	150	0	0
2	सीमलवाडा	223	223	0	63	63	0	253	0	0
3	सागवाडा	163	158	5	63	62	1	188	0	0
4	आसपुर	141	141	0	56	56	0	157	0	0
5	बिछीवाडा	149	149	0	69	69	0	287	0	0
योग		845	829	16	327	323	4	1035	0	0

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रा) डूँगरपुर 2002

(ब) कक्षाकक्ष की राजकीय विद्यालयों में उपलब्धता ::–

तालिका कमांक ::–27

विकास खंड़ों के नाम	प्राथमिक							उच्च प्राथमिक						
	विद्यालयों की संख्या	कक्षा कक्ष						विद्यालयों की संख्या	कक्षा कक्ष					
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
डूंगरपुर	169	3	98	26	12	18	12	76	0	0	8	34	24	10
सागवाड़ा	163	10	98	13	9	17	16	63	0	0	7	23	18	15
सीमलवाड़ा	223	19	110	37	18	20	19	63	0	0	8	21	17	17
आसपुर	141	9	83	21	8	13	7	56	0	0	6	25	10	15
बिछीवाड़ा	149	8	82	17	20	12	10	69	0	0	9	29	14	17
योग	845	49	471	114	67	80	64	327	0	0	38	132	83	74

स्त्रोत ::–जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रा) डूँगरपुर 2002

(स) पेयजल सुविधाओं वाले विद्यालयों की संख्या ::–

तालिका कमांक ::–28

क्र. सं.	विकास खंड	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			राजीव गांधी पाठशाला			अन्य विद्यालय		
		विद्यालय की संख्या	पेयजल व्यवस्था वाले विद्यालय	शौचालय रहित विद्यालय विना पेयजल	विद्यालय की संख्या	पेयजल व्यवस्था वाले विद्यालय	बिना पेयजल व्यवस्था वाले विद्यालय	विद्यालय की संख्या	पेयजल व्यवस्था वाले विद्यालय	बिना पेयजल व्यवस्था वाले विद्यालय	विद्यालय की संख्या	पेयजल व्यवस्था वाले विद्यालय	बिना पेयजल व्यवस्था वाले विद्यालय
1	डूंगरपुर	169	70	99	76	55	21	150	73	77	0	0	0
2	सागवाडा	163	109	107	63	42	23	253	100	153	0	0	0
3	आसपुर	141	93	64	56	29	27	191	90	101	0	0	0
4	बिछीवाडा	149	85	52	69	37	19	163	53	110	0	0	0
5	सीमलवाडा	223	79	67	63	43	20	302	166	136	0	0	0
योग		845	436	389	327	206	110	1059	482	577	70	39	31

स्त्रोत ::– जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (प्रा) डूँगरपुर 2002

जिले में वर्तमान में औपचारिक विद्यालयों के अलावा वैकल्पिक शिक्षा की निम्न योजनायें चल रही हैं ।

1– *औपचारिक विद्यालय ::–*

डूँगरपुर जिला अनुसूचित जनजाति बाहुल्य होने से व शैक्षिक आर्थिक एवं अन्य दृष्टियों से पिछड़े होने से आजादी के पश्चात् सभी सरकारों ने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु शैक्षिक परिदृश्य को बदलने पर विशेष जोर दिया गया है । पिछले एक दशक से तो सरकार ने जिले के हर गांव – गांव और धाणी–धाणी में विद्यालयों का जाल सा बिछा दिया है । सम्पूर्ण जिले में कुछ ही वासस्थान ऐसे बचे हैं जहां शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । सरकार के इस प्रयास से आशातीत परिणाम भी सामने आये हैं वर्तमान में इस जिले की शैक्षिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है परंतु शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ ही प्रंबंधन, भौतिक सुख सुविधायें, शैक्षिक वातावरण नहीं होने, अंधविश्वास एवं रूढिवाद, सबसे अधिक गरीबी की एवं रोजगार की समस्या होने से अपेक्षानुरूप उपलब्धि नहीं मिल पा रही हैं ।

2– *अनौपचारिक विद्यालय ::–*

a. – लोक जुम्बिश परियोजना

b. – शिक्षाकर्मी योजना

c. – बाल विकास अभिकरण के तहत् आंगनवाड़ी केन्द्र

d. – स्वयं सेवी संस्थायें

a. लोक जुम्बिश परियोजना ::–

शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुणात्मक ठहराव के उद्देश्य को लेकर लोक जुम्बिश परियोजना का शुभारंभ इस जिले में सर्व प्रथम 1989 में बिछीवाड़ा ब्लॉक से हुआ एवं अगले तीन वर्षों में इसका विस्तार सम्पूर्ण जिले में हो गया । लोक जुम्बिश योजना के उद्देश्यों में निम्न बातें प्रमुख हैं –

- प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण ।
- नामांकन एवं ठहराव में गुणात्मक वृद्धि लाना ।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ।
- समस्त गतिविधियां महिला सशक्तिकरण/जन सहभागिता आधारित
- शिक्षक अभिभावक अभिमुखीकरण
- न्यूनतम दक्षता आधारित शिक्षण
- आनंददायी शिक्षण गतिविधियां

परियोजना द्वारा जिले में अभिमुखीकरण, वातावरण निर्माण, कला जत्थों, ग्राम सम्पर्क दलों, बी. आर. टी., सी. आर. टी. प्रेरक दल, महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति, भवन निर्माण समिति इत्यादि के द्वारा पूर्ण सहभागिता से विद्यालयों के भौतिक, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक आयाम स्थापित किये है, वहीं न्यूनतम दक्षता आधारित शिक्षण के माध्यम से गुणवत्तायुक्त ठहराव के प्रयास किये गये हैं । लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा विद्यालयीय व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिये सतत् प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणों में आनंददायी गतिविधियों का प्रयोग, न्यूनतम दक्षता हेतु विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण व भौतिक सुदृढीकरण के विशेष प्रयास किये गये हैं । जिले की शैक्षिक प्रगति विवरण से स्पष्ट है कि परियोजना का जिले के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान हैं ।

b. शिक्षाकर्मी योजना ::–

शिक्षाकर्मी योजना का डूँगरपुर जिले के बिछीवाड़ा खंड से 1989–90 से दुर्गम क्षेत्रों के अभावग्रस्त एवं वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिये शुभारंभ हुआ । इस योजना का मूल उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों के शिक्षा से वंचित बालकों का जिनका दिन में पूरा समय विद्यालयों में रहना संभव नहीं है व श्रमपरक जीवन होने से गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसे बालक–बालिकाओं को सरलता एवं सहजता से शिक्षा प्रदान करने की सहज व्यवस्था की जा रही है । इस योजनान्तर्गत दो प्रकार के विद्यालय संचालित हैं ।

(अ) दिवस विद्यालय –

(ब) प्रहर विद्यालय –

उक्त प्रकार के विद्यालयों में दुर्गम बस्तियों के वंचित बालक–बालिकाओं के शिक्षा हेतु उसी गांव के चयनीत शिक्षकों के माध्यम से एवं उसी गांव एवं धाणी के लोगों की जनसहभागिता द्वारा किया जाता है । शिक्षाकर्मी को प्रारंभिक मानदेय 1800/– व वरिष्ठ शिक्षाकर्मी को 2200 रूपये मानदेय दिया जाता है, जिले में कुल 70 शिक्षाकर्मी विद्यालय तथा 35 प्रहर पाठशालायें संचालित हैं ।

c. बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र ::–

राज्य में गठित वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन वर्तमान में समेकित बाल विकास कार्यक्रम एवं महिला विकास कार्यक्रम का संचालन हो रहा है । दोनों ही कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य विकास एवं सेवा है परंतु मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं गुणात्मक ठहराव का है डूँगरपुर जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना से आज तक की स्थिति निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक ::–29

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	स्थापना वर्ष	वर्तमान में		शाला पूर्व कार्यक्रम की प्रगति जिले का योग	
1	डूँगरपुर	81-82	111	111	23500	23327
2	आसपुर	83-84	203	203		
3	बिछीवाडा	83-84	202	202		
4	सागवाडा	81-82	147	147		
5	सीमलवाडा	82-83	119	119		

स्त्रोत ::– महिला एवं बाल विकास विभाग डूँगरपुर 2002–2003

उक्त कार्यक्रम एव सेवाओं के सुव्यवस्थित संचालन से निम्न लाभ प्रत्यक्ष में दृष्टिगोचर होने लगे हैं ।

- "0 से 6" वर्ष के बालकों के पोषण में सुधार होने लगा है ।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारिरीक एवं सामाजिक विकास के लिये मजबूत आधार तैयार हो रहा है ।
- बीच में पढाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी आ रही है ।

d. स्वयं सेवी संस्थाओं का योगदान ::–

डूँगरपुर जिले में स्वतंत्रता से पूर्व ही राजस्थान सेवा संघ ने शिक्षा की अलख जगाई थी । इस संस्था ने तब से ले कर आज समय तक अनवरत रूप से इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के

विकास के लिये प्रयत्नशील है । अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं में जन शिक्षा एवं विकास संगठन माड़ा, वनवासी कल्याण परिषद्, वागड़ जनजाति सेवा संस्थान इत्यादि मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है । इन संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने, संबलन प्रदान करने, आधारभूत शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिक्षा केन्द्र खोल कर वंचित बालकों को शिक्षा से जोड़ने से संबंधित कई कार्यक्रम एवं योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं । निश्चित रूप से इस जिले के बदले हुये शैक्षिक परिदृश्य के परिवर्तन में इन स्वयं सेवी संस्थाओं की अहम् भूमिका रही है ।

अध्याय – 3
नियोजन प्रकिया

3.1– भूमिका ::–

शिक्षा के सार्वजनीकरण के अर्न्तगत हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक बालक एवं बालिका जो 6 से 14 आयु वर्ग के है । विद्यालय से जुड़े उनका ठहराव सुनिश्चित हो एवं वे गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करें एवं 8 वर्ष में उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें । डूँगरपुर जिला अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है । यहां कि 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर अपनी आजिवीका यापन करती है । जिला का पूरा भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी होने से यहां पर समतल एवं कृषि योग्य जमीन कम है साथ ही सिंचाई के साधनों एवं आधुनिक कृषि तकनीक का भी अभाव है साथ ही लगातार यह जिला अकाल और अल्प वृष्टि की मार झेल रहा है । यहां के आदिवासी लोग अशिक्षित होने व अन्य कोई रोजगार के साधनों के अभाव के कारण परिवार के सभी व्यक्ति कृषि कार्यों एवं मजदूरी कार्य में रत रहते हैं । उपरोक्त कारणों की वजह से यहां के लोग अपने बच्चों को पूर्ण शिक्षा नहीं दिला पाते हैं । साथ ही इस जिले के लोगों की संस्कृति, स्वच्छंद प्रकार की है । यहां के लोग गरीबी में भी जीवन यापन करते हुये हॅसते–खेलते गीत गाते अल्प आय में ही संतोषी प्रवृत्ति के लोग हैं । अतः यहां का सरकारी विद्यालयों का वातावरण आदिवासी संस्कृति के अनुरूप नहीं होने के कारण तथा आनंददायी शिक्षण व्यवस्था नहीं होने से विद्यालय में ठहराव नहीं रहता है । पिछले कुछ वर्षो से विभिन्न शैक्षिक परियोजनाएं सरकार के प्रयासों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रयासों से परिवर्तन हुआ है । परंतु मुलभूत समस्याएं आज भी ज्यों के त्यों है । उन समस्याओं के समाधान के बिना इस जिले में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना स्वप्नील ही है । उक्त सभी समस्याओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु जिला संदर्भ समूहों की समय–समय पर समन्वय बैठकें आयोजित की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग ले कर अपने सुझाव दिये ।

1– प्रधानाचार्य, डायट डूँगरपुर

2– अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, डूँगरपुर

3– जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, डूँगरपुर

4– जिला परियोजना समन्वयक, लोक जुम्बिश परियोजना डूँगरपुर

5– गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि ::–

अ) श्री देवीलाल व्यास, निदेशक, जन शिक्षा एवं विकास संगठन (पीड़ो) माड़ा

ब) श्री कनु भाई उपाध्याय, राजस्थान सेवा संघ डूँगरपुर

6– जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी

7– सभी परियोजना अधिकारीगण लोक जुम्बिश परियोजना डूँगरपुर

8– महिला प्रतिनिधि शिक्षा विभाग

9– संबंधित कार्यक्रम प्रभारी

उक्त दल के सुझावों के आधार पर जिला कोर टीम ने इस सर्वशिक्षा अभियान की प्रस्तावित कार्ययोजना तैयार की जिसमें निम्न सदस्यों ने कार्य किया ।

1– सुश्री आशा वर्मा, जिला परियेाजना समन्वयक, लोक जुम्बिश परियोजना डूँगरपुर

2– श्री दीनबंधु परमार, सहायक लेखाधिकारी, लोक जुम्बिश परियोजना, डूँगरपुर

3– श्री देवी लाल पाटीदार सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम प्रभारी लोजु डूँगरपुर

4– श्री प्रकाश चंद्र शर्मा, व्याख्याता, हिन्दी डायट डूँगरपुर

5– श्री बसंत मेनारिया, सुमित्र दल सदस्य, लोक जुम्बिश परियोजना डूँगरपुर

6– श्री रजनीश पंड्या, कम्प्यूटर प्रचालक, लोक जुम्बिश परियोजना डूँगरपुर

उक्त टीम के गहन अध्ययन से निम्न समस्याएं एवं मुद्दे उभर कर आये ।

3.2– समस्यायें एवं मुद्दे ::–

डूँगरपुर जिले की अपनी विशेष आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं हैं जिनके कारण शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा आ रही हैं । जिनमें प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं –

1– गरीबी, बेरोजगारी एवं पलायन –

2– घरेलु कार्यों में छोटे बालकों का संलग्न होना –

3– कृषि कार्यों एवं मजदूरी कार्यों में लिप्त रहना –

4– विद्यालय का वातावरण निरस एवं संस्कृति का अनुरूप नहीं होना –

जिले की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण यहां के लोगों को रोजगार हेतु एवं अपनी मुलभूत सुविधाओं रोटी, कपड़ा और मकान के प्रबंध में पडौसी जिलों एवं राज्यों में पलायन करना पडता हैं । पलायन में परिवार के मुखिया महिलायें एवं बालिकायें प्रमुख हैं । जिसके कारण घर पर छोटे छोटे बच्चों की देखभाल पशुधन की देखभाल एवं घरेलु कार्यों हेतु बच्चे पढाई छोड देते हैं । गरीबी के कारण ही महज 12–13 वर्ष की उम्र में लडकियां एवं लडके दिहाडी मजदूरी पर ट्रेक्टरों पर कार्य करते हैं । विद्यालयों का वातावरण भी आदिवासी संस्कृति के अनुरूप नहीं होने, शिक्षकों में शैक्षणिक दक्षता एवं कत्तर्व्य निष्ठा के अभाव एवं बोझिल पाठ्यक्रम के चलते यह विद्यालय बच्चों को अपनी और आर्कषित कर पाने में अक्षम रहे हैं ।

ठहराव सुनिश्चित करने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिये अभी भी भागीरथी प्रयास करना जरूरी है उक्त उपलब्धि प्राप्त करने में उपर्युक्त समस्यायें बाधायें उत्पन्न कर रही हैं उन समस्याओं एवं मुद्दों को ध्यान में रख कर सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत सुक्ष्म नियोजन प्रकिया के द्वारा ठहराव सुनिश्चित कर बोझिल पाठ्यक्रम को आंनददायी शिक्षा में परिर्वतीत कर, शिक्षकों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन कर, अभिभावकों में गतिशीलता एवं जागरूकता पैदा कर विद्यालय के वातावरण को बालकों के अनुरूप बना कर परीक्षा नीति को परिवर्तन कर शिक्षकों को शैक्षणिक संबल प्रदान कर उपर्युक्त समस्यायें एवं मुद्दे का समाधान किया जाना संभव है, सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाईयों जो सामने दृष्टिगोचर हो रही हैं उनका निदान किया जायेगा ।

समाधान ::–

उपर्युक्त जिले की विशिष्ठ समस्याओं के समाधान हेतु विशिष्ठ प्रयास जरूरी हैं अन्यथा अन्य योजनाओं एवं अभियानों की भॉति सर्वशिक्षा अभियान से भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं होगी । उक्त समस्याओं हेतु निम्न भागीरथी प्रयास किये जाने चाहिये।

1– बच्चों के पलायन को रोकने हेतु गॉव के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस बिन्दु को रख कर उन्हें ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने एवं समझ विकसीत करने के लिये प्रेरित किया जाये ।

2– जिले में अधिकतर वासस्थान बिखरे हुये हैं, अतः प्रत्येक गॉव की समस्यायें अलग–अलग प्रकार की हैं । अतः उस गॉव में जा कर जन सहभागिता से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोडने हेतु योजना बनवाई जाये एवं लागू की जाये ।

3– घरेलु कार्यों में लिप्त बालक–बालिकाओं हेतु मुक्तांगन,खोले जावें । जिसमें बच्चों को जब भी समय मिले वे बच्चे मुक्तांगन केन्द्र पर आ कर पढें ।

4– काम काजी महिलाओं के मजदूरी पर जाने के पश्चात् जो बालिकायें छोटे भाई बहनों की संभाल के लिये घर रह जाते हैं उनके लिये पालनाघर खोले जावें एवं साथ ही उन गृहों में बडे बालकों के पढने की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाये ।

5– बालक एवं बालिकाओं जो कि पलायन कर जाते हैं । उन्हें शिक्षा से जोड़ने हेतु बालक एवं बालिका शिक्षण शिविर आयोजित कर उन्हें शिक्षा से जोडा जाये ।

6– उक्त प्रकार के बालक – बालिकाओं हेतु कौशल अभिवृद्धि के पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने से अभिभावकों में रोजगार गारंटी की भावना आने से वे बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित होगें ।

7– विद्यालयों को भौतिक दृष्टि से सम्पन्न कर आनंददायी पाठ्यक्रम लागू किया जाये जिससे बच्चे बोझिल वातावरण महसुस न कर खेल खेल में सहजता से अधिगम कर सकें ।

अध्याय – 4
सर्व शिक्षा अभियान

4.1 भूमिका –

सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा का समुदाय के सहयोग से सार्वजनीनकरण करने का एक प्रयास है। यह 6–14 आयुवर्ग सभी बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी सवैधानिक प्रतिबद्वता के अनुसारण में सर्व सुलभ प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्य योजना 1992 में इस संकल्प की मुखर अभिव्यक्ति हुयी है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में दिये गये महत्व के अनुसरण में कई योजनाऐं तथा कार्यक्रम आरम्भ किये गये जिनमें प्रमुखतः आपरेशन ब्लेक बोर्ड (OBB) अनौपचारिक शिक्षा महिला समस्या, गुरुमित्र योजना, राज्य विशेष बुनियादी शिक्षा परियोजनाएँ जैसे बिहार शिक्षा परियोजना, आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना, उत्तर प्रदेश मे सभी के लिये शिक्षा परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम आदि सम्मलित है ।

प्रत्येक बालक बालिका को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिये सामाजिक न्याय तथा समानता अपने आप में ही एक ठोस तर्क है । यह सर्वमान्य तथ्य है कि बुनियादी शिक्षा का मानव कल्याण विशेषकर जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर, बच्चो का पोषाहार स्तर आदि के स्तर में सुधार करती है । अध्ययनों से ज्ञात होता है कि सर्वसुलभ बुनियादी शिक्षा आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका अदा करती है ।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण का समयबद्व कार्यक्रम है ।
- पूरे देश में गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा ।
- प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक न्याय को बढावा देने का एक अवसर ।
- पंचायतीराज संस्थाओं, शाला प्रबन्धन समितियों ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तीयों की शिक्षा समितियों, छात्र अभिभावक परिषद, मातृ अभिभावक परिषद, जनजातिय स्वायत परिषदों तथा अन्य संस्थानों का विद्यालय प्रबन्धन में एक प्रयास ।
- केन्द्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के मध्य सहयोग ।
- राज्य को प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं का दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर

प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रुप में सर्वसुलभ बनाए जाने पर राष्ट्रीय समिति की 1999 की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाओ की तैयारी पर बल देकर समग्र एवं संकद्रित दृष्टिकोण से युक्त मिशन के रुप में प्रारंभिक शिक्षा कसे सर्व सुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए । इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का समर्थन किया और प्ररंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को मिशन के रुप में प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करने की इच्छा व्यक्त की ।

4.3 सर्वशिक्षा अभियान क्यो ? ::–

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है परन्तु फिर भी 6–14 आयु वर्ग के 20 करोड बच्चो में से 5–9 करोड बच्चे स्कूल नहीं जा रहे है । इनमे 3,5 करोड लडकियॉ तथा 2–4 करोड लडके है । ये समस्याए पढाई बीच में छोडने की दर अधिगम उपलब्धि का न्यून स्तर और लडकियों जनजातियो और अन्य वंचित वर्गो की कम सहभागिता से संबंधित है । अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तिया है जहॉ एक किलोमीटर के दायरे मे विद्यालयी सुविधाएँ नहीं है । इसके साथ ही विद्यालयों को अपर्याप्त बुनियादी ढॉचा विद्यालयों की असंतोषप्रद कार्य प्रणाली शिक्षकों की अनुपस्थिति की अधिकता, शिक्षक रिक्तयों की अधिक संख्या शिक्षा का असंतोषप्रद स्तर तथा अपर्याप्त निधियॉ जैसे विभिन्न संबद्ध करण भी है । सार में देश को अभी भी प्रारंभिक शिक्षा सर्वसुलभीकरण(UEE) के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसका तात्पर्य है सभी बस्तियों में विद्यालयी सुविधाए प्रदान कर के शतप्रतिशत नामांकन तथा बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना इसी अन्तर को पूरा करने के लिय सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ किया है ।

4.4 सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य ::–

- सभी बच्चों के लिये 2003 विद्यालयी शिक्षा की गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय "बैक स्कूल" शिविर की उपलब्धता ।
- सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पॉच वर्ष की विद्यालियी शिक्षा पूर्ण करे ।
- सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी कर ले ।
- गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो पर बल देना ।
- जेण्डर असमानता तथा सामाजिक वर्ग – भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना । वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में ठहराव में सुनिश्चित करना ।

अध्याय – 5
पहुँच एवं ठहराव

राजस्थान के सुदूर दक्षिण में अरावली की पहाडियों में स्थित डूँगरुपर जिले में पॉच विकास खंड डूँगरपुर, आसपुर, सीमलवाडा, सागवाडा एवं बिछीवाडा हैं । इन विकास खंड क्षेत्रों में शिक्षा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात, ठहराव दर, अध्यापक आवश्यकता एवं पहुँच के संदर्भ में वृहद विशलेषण की आवश्यकता है । सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत ठहराव दर पहुंच एवं अध्यापकों की छात्रानुपात में आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है । जिले में शिक्षा गारंटी योजनार्न्तगत दूरदराज के बच्चों को शिक्षा से लाभान्वित किया जा रहा है ।

○ **पहुँच दर** ::–

शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु डूँगरपुर जिले में शिक्षा गारंटी योजना वैकल्पिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था है इसके अर्न्तगत अनौपचारिक एवं वैकल्पिक विद्यालय दुरस्थ शिक्षा एवं सीख, विशिष्ठ स्कूल, निदानात्मक शिक्षा एवं पार्ट टाईम कक्षा को सम्मिलित किया गया है । जिले की सकल पहुँच दर निम्नानुसार है –

$$\text{सकल पहुँच दर (की.ए.आर)} = \frac{\text{विद्यालय सुविधा वाले गांवों की संख्या}}{\text{कुल गांवेां की संख्या}} \times 100$$

$$= \frac{1024 \times 100}{1097} = 93.35$$

93.35 स्थानों पर वासस्थानों पर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध है । जिले के 6.65 प्रतिशत वासस्थानों पर जहां पर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इन स्थानों में शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने का विशेष प्रावधान है ।

○ ***प्राथमिक विद्यालयों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नति*** ::–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को सहर्ष स्वीकार करते हुये जिले में इस क्षेत्र के उच्च मापदंड़ स्थापित किये हैं । 6 से 11 आयुवर्ग के बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है एवं प्रत्येक बालक/बालिका की पहुँच में विद्यालय/वैकल्पिक विद्यालय स्थित है । जहां यह स्थिति नहीं थी । लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा इसकी आपूर्ति की गयी है । किंतु उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति अपेक्षित सुखद नहीं है ।

अतः सर्व शिक्षा अभियान के दौरान् इस स्थिति को पूर्ण करने हेतु निम्न योजना तैयार की गयी है –

तालिका कमांक ::–30

एस. एस. ए. के तहत् विद्यालयों की व अन्य शिक्षा स्त्रोतों की योजना की सारणी –

क्र. सं.	सत्र	राजकीय प्राथमिक शिक्षा	राजकीय उच्च प्राथमिक शिक्षा	रागापा / जेपी / ई जीएस	शिक्षाकर्मी विद्यालय	अन्य ईजीएस(एसएस के+एसएम)	कमोन्नयन / परिवर्तन सत्र में				विद्यालय कमोन्नयन के बाद की स्थिति				
							प्राथमिक से उच्च प्राथमिक मे	रागापा / जे पी / ईजीए स से प्राथमिक विद्यालयो मे	शिक्षाक र्मी से प्रावि में	अन्य ईजीएस	राजकीय प्राथमिक	राजकीय उच्च प्राथमिक	रागापा / एसजे पी /	शिक्षाकर्मी विद्यालय	अन्य एसएस के +एसएम
1	2002–03	905	267	1059	70	0	60	0	0	0	845	327	1059	70	0
2	2003–04	845	267	1059	70	0	13	423	0	0	1255	340	636	70	0
3	2004–05	1255	340	636	70	0	191	212	0	0	1276	531	424	70	0
4	2005–06	1276	531	424	70	0	71	212	70	0	1487	602	212	0	0
5	2006–07	1987	602	212	0	0	94	212	0	0	1605	696	0	0	0
6	2007–08	1605	696	0	0	491	71	0	0	30	1534	767	0	0	461
7	2008–09	1534	767	0	0	461	0	0	0	20	1534	767	0	0	441
8	2009–10	1534	767	0	0	441	0	0	0	20	1534	767	0	0	421

उपरोक्त सारणी के अनुसार वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा उसमें प्रथम वर्ष में 60 प्राथमिक विद्यालयों को कमोन्नत किया जायेगा । द्वितीय वर्ष 13, तृतीय में 191, चौथे वर्ष में 71, पॉचवें वर्ष में 94 एवं सत्र 2007–08 में 71 प्राथमिक विद्यालयों को कमोन्नत कर सर्वशिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा । प्रत्येक कमोन्नत विद्यालय को 50,000 / –रूपये की टी.एल.ई. राशि प्रदान की जायेगी तथा तीन कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा । इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष एक प्रधानाध्यापक तथा एक अध्यापक, दूसरे वर्ष में एक तीसरे वर्ष में एक और इसी कम में प्रति वर्ष नियुक्ति प्रदान करने के बाद प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 6 अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी ।

o *शिक्षाकर्मी योजना एवं वैकल्पिक विद्यालयों का प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन*

डूँगरपुर जिले में 2003से2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत शिक्षा गारंटी योजना में संचालित 1059 पाठशालाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में कमोन्नत किया जायेगा।

तालिका कमांक ::–31

सत्र	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
शिक्षा गारंटी योजना के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन वाले विद्यालयों की संख्या	423	212	212	212

○ *शिक्षा गारंटी योजना ::–*

डूँगरपुर जिले में पॉचों विकास खंडों क्रमशः डूँगरपुर, सागवाडा, आसपुर, बिछीवाड़ा, सीमलवाडा में इस योजनान्तर्गत 35775 बालक, 33325 बालिकायें, कुल 69100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं ।

○ *अध्यापकों की आवश्यकता ::–*

डूँगरपुर जिले में 30 सितम्बर 2002 के अनुसार 845 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, तथा 2:1 के अनुपात में क्रमोन्नत के आधार पर सर्वशिक्षा अभियान में लगभग 433 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति की आवश्यकता होगी । इस लक्ष्य की प्राप्ति सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 2007–08 तक पूरा कर लिया जायेगा । इन विद्यालयों हेतु प्रोजेक्ट अध्यापकों की संख्या औसतन 6 अध्यापक प्रति विद्यालय के हिसाब से 2598 (प्रधानाध्यापक सहित) अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी । इसमें प्रथम वर्ष में 120, दूसरे वर्ष में 86 इस प्रकार आगामी वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति के अनुसार नियुक्तियां दी जायेंगी साथ ही अध्यापक छात्रानुपात अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में भी अतिरिक्त अध्यापक लगाये जायेंगे

○ *सामुदायिक आधारित कार्ययोजना ::–*

सर्वशिक्षा अभियान की सफलता बहुत कुछ समुदाय आधारित कार्य योजना की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी । इसके अर्न्तगत शैक्षणिक व्यवस्था को कायम करने हेतु समुदाय की पूर्ण भागीदारी हो इसके लिये सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा । समुदाय का जुड़ाव शिक्षा एवं विद्यालय के प्रति रहे इस हेतु ग्राम स्तर, संकुल स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर कोर टीम का गठन, डायट, बी. आर. सी. एस., सी. आर. सी. एस., एन. जी. ओ. प्रतिनिधि, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, महिला समुह, स्वयं सहायता समुह, सेवानिवृत्त एवं समाज सेवी लोगों को इस अभियान से जोड़ कर उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर उनके माध्यम से जनभागीदारी, सामाजिक एवं स्वैच्छिक भागीदारी, जनता से जुड़ाव इत्यादि महत्वपूर्ण प्रकार्यों को पूर्ण करते हुये सर्व शिक्षा अभियान को शत प्रतिशत उपलब्धि मिले ऐसा प्रयास किया जायेगा । इस हेतु समाज में गतिशीलता जागरूकता लाने के लिये इस अभियान के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ।

1) **बाल मेले** ::–

इस मेले का आयोजन कर शिक्षित एवं अशिक्षित बालकों की वार्तालाप खेलकुद तथा कियात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनमें शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जायेगी । विद्यालयों में प्रवेश हेतु

प्रयास किये जायेंगे । अभिभावकों तथा समाज के अन्य लोगों को इन मेलों के माध्यम से शिक्षा से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे ठहराव सुनिश्चित होगा ।

2) **कला जत्था ::–**

सामाजिक जुड़ाव में कला जत्थे के कार्यक्रम अनूठी भूमिका निभाते हैं इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण एवं समाज में जागृति लाने का प्रयास किया जायेगा ।

3) **माता शिक्षिका परिषद् ::–**

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं समाज में मातृ शक्ति की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से इस अभियान के अर्न्तगत माता शिक्षिका परिषद् का गठन किया जायेगा । जिसमें माताऐं एवं शिक्षिकायें बालिकाओं एवं समाज में महिलाओं के सर्वांगिण विकास की सोच रखते हुये प्रति माह बैठकें कर योजनाओं का कियान्वयन करेंगे ।

4) **मॉ – बेटी मंच का गठन :–**

मॉ – बेटी मंच का गठन भी सामुदायिक गतिशीलता में प्रबल एवं जवाबदेही भागीदारी का प्रयास करेगा ।

सर्वशिक्षा अभियान योजनार्न्तगत सामुदायिक गतिशीलता के विभिन्न कार्यक्रमों को समायोजित करते हुये इनके व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रति वर्ष 1000/– प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को देय होगें ।

o **व्यवसायिक शिक्षा से बच्चों को जोड़ना ::–**

आज की शिक्षा को समय की मांग के अनुरूप रोजगारोन्मुखी बनाने के लिये सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने की बात मजबूति से उभर कर सामने आयी है । यह शिक्षा बच्चों को रोजगार से भले ही न जोड़े परंतु उन्हें स्वावलंबी बन कर जीने में भरसक मदद करेगी । वहीं दूसरी ओर उन बच्चों के दिल एवं दिमाग से बेरोजगारी की भावना का क्षरण होगा । यह शिक्षा ग्रीष्मावकाश में विशेष शिविर आयोजित कर दी जा सकेगी ।

व्यवसायिक शिक्षा की इस योजना में 10 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये ऐसे ट्रेड़ संचालित किये जायेगें जो उनके भविष्य के जीवन और आमदनी से संबंधीत होगें । इसकी लागत प्रति वर्ष 2 लाख रूपये होगी ।

○ विद्यालय की भौतिक सुविधायें ::–

बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराने में भौतिक सुविधायें महत्ती भूमिका निर्वहन करती हैं । आर्कषक विद्यालय परिवेश से विद्यार्थी शिक्षार्जन की ओर आर्कषित एवं अग्रसर होता है । भौतिक सुविधा में विद्यालय भवन, चाहरदीवारी, शौचालय सुविधा, पेयजल सुविधा प्रमुख हैं । इस वस्तु स्थिति से परिचीत हो कर सर्वशिक्षा अभियान में उक्त सुविधायें विद्यालयों में प्रदान करने की स्थिति प्रदत्त की गयी है । इन सुविधाओं की कमी एवं प्रभाव से बच्चों में कुठा वातावरण नीरस हो जाता है अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण की प्राप्ति हेतु यह सुविधायें नींव के पत्थर का कार्य करेगी ।

○ विद्यालय रखरखाव ::–

विद्यालयों का सुरम्य वातावरण विद्यालय के आर्कषण का केन्द्र होता है । इन सरस्वती मंदिरों के सौंदर्य को सुन्दर बनाये रखने हेतु उनका रख रखाव प्रभावी ढ़ंग से किया जाना न्यायसंगत है । इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत विद्यालयों के रखरखाव हेतु विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता एवं भावना व्यक्त करते हुये प्रति विद्यालय 5000/– प्रति वर्ष दिया जाना प्रस्तावित है । इस राशि का उपयोग विद्यालय प्रंबध (एस. एम. सी.) के माध्यम से शाला सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव पर खर्च होगा ।

○ कम्प्यूटर शिक्षा ::–

संचार के नवविकसीत साधनों एवं भौतिकता की दौड़ में बच्चों को दी जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा अति महत्वपूर्ण एवं विशिठ है सर्व शिक्षा अभियान में संचार के साधनों के बढते प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुये उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभिभावकों, जननायकों, जन प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजिवीयों का झुकाव इस ओर प्रमुखता से बढ़ा है । इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य एवं स्थिति के विशलेषण के उपरांत उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों को कम्प्यूटर से जोड़ा गया है इसका उद्देश्य वर्तमान के साथ कदम मिलाना एवं वर्तमान के साथ जुड़ाव रखना है ।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु इस अभियान के अर्न्तगत 500/– प्रति बालक के अनुसार 3000 बालकों को प्रति वर्ष लाभान्वित किया जायेगा । इस कार्य हेतु 15.00 लाख प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है ।

अध्याय – 6
गुणवत्ता शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनिकरण में गुणात्मक शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है । विद्यालयी परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक शिक्षा के मापन हेतु विभिन्न सूचक तैयार किये गये हैं । इनका उपयोग विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने हेतु किया जा सकता है । विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के मापन हेतु नामांकन वृद्धि उत्तीर्ण का प्रतिशत पुनः अध्ययन दर शाला त्याग करने वाले बच्चों की दर, उपलब्धि स्तर, विद्यालयी वातावरण की गुणवत्ता तथा कक्षा कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता प्रमुखता से उभर कर आयी है ।

उक्त गुणात्मक शिक्षा मापन की नवीन विधायें प्रभावी ढंग से लागू हों इसके लिये शिक्षकों को भी आधुनिक नवाचारों एवं विधाओं की पूर्ण जानकारी अपेक्षित है । इसके अभाव में गुणवत्ता शिक्षा का मापन संभवन नहीं है ।

❖ विद्यालय अनुदान राशि (एस. एफ.जी.) ::–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष प्रति विद्यालय दो हजार रूपये की राशि का अनुदान दिया जाने का प्रावधान किया गया है । इस राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक एवं सहमति के उपरांत किया जा सकेगा । संस्था प्रधान (सदस्य सचिव) अपने विद्यालय की आवश्यकीय आवश्यकताओं से विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को आमंत्रित एवं आहूत बैठक में अवगत करायेगा । संस्था की आवश्यकता एवं राशि के आधार पर विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय अनुदान राशि की उपयोगिता की सहमति प्रदान करेगी । इस राशि से विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिये दरीपट्टी आदि आवश्यकतानुसार कय की जा सकेंगी । पेयजन आपूर्ति बहाली हेतु पानी की टंकी आदि के खरीदे जाने का प्रस्ताव भी पारित कराया जा सकेगा । इस प्रकार फूटकर एवं छोटी–मोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति प्रति वर्ष मिले वाली विद्यालय अनुदान राशि द्वारा की जावेगी ।

❖ शिक्षण अधिगत सामग्री (टी. एल. एम.) ::–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत शिक्षा अधिगम सामग्री हेतु पॉच सौ रूपये प्रति अध्यापक को देय है । इस राशि में से चौथाई राशि का उपभोग बाजार से सामग्री कय करने में और तीन चौथाई राशि का उपभोग विद्यालय में बच्चों के मध्य बैठकर शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण पर किया जा सकेगा । यह राशि कच्ची सामग्री पर अधिक मात्रा में व्यय की जावेगी । इस राशि व्यय से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री कय की जा सकेगी । यह सामग्री बच्चों को शिक्षण विधा को

समझाने में मददगार होगी तथा बच्चों को विषयवस्तु की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी । यह जानकारी रूचिकर एवं प्रभावी होगी । इसका स्थायित्व अमिट होगा ।

अतः शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं डिमोन्स्ट्रेशन को सर्व शिक्षा अभियान में प्रबलता से उभारा गया है । जो बच्चों के लिये आनंददायी, रूचिकर एवं शिक्षा प्रद है ।

❖ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें ::–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तगत उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करानें का प्रावधान किया गया है । राजस्थान सरकार द्वारा उच्च प्राथमि स्तर तक बालिकाओं को निःशुल्क पाट्यपुस्तकें दी जा रही हैं । सर्व शिक्षा अभियान में सभी को उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का विचार दृढ़ता से उभरा है और इसे अमल में लाया जा रहा है । सभी को निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना जेण्ड़र संवेदनशीलता की सार्थक श्रेणी है । सर्व शिक्षा अभियान में बुद्धिजीवियों एवं शिक्षाविद्ों ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें सभी को दिये जाने की अभिशंसा की हैं । वास्तव में निः शुल्क पाठ्यपुस्तकों की उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्धि से अनगिनत गरीबों को सार्थक राहत मिलेगी जो आर्थिक बोझ वहन करने में असमर्थ हैं ।

इस कार्य हेतु प्रति बालक 100 रूपये की पाट्यपुस्तकें देने का प्रावधान है ।

❖ पुस्तकालय अनुदान ::–

अच्छी पुस्तकें ज्ञानार्जन का प्रथम सोपान है । अच्छी पुस्तकों से विद्यार्थियों में भौतिक भावनाओं को पिरोया जा सकता है तथा ज्ञानार्जन किया जाता है । हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं विषमताओं और अनैतिक मूल्यों का कारण श्रेष्ठ जीवन मूल्यदायी शिक्षा की कमी एवं सत् साहित्य का अभाव है । सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इस भावना पर विचार कर उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान दिया जाने का पुरजोर समर्थन किया गया है एवं प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष 2000/– की राशि पुस्तकालय अनुदान हेतु रखी गयी हैं । इस राशि से जहां पुस्तकालयों में श्रेष्ठ एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें मिलेंगी, वहीं बच्चों में इनके अध्ययन से बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होगा जो भावी पीढ़ी के लिये उपयोगी एवं लाभादायिक है । हमारे विद्यालयों के संस्था प्रधानों से अपेक्षा की गयी है कि वे जीवनोपयोगी पुस्तकें क्रय करेंगे एवं पुस्तकालयों को समृद्ध करेंगे। राशि का सही सदुपयोग करना संस्था प्रधानों का नैतिक दायित्व है ।

❖ अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन ::–

(अ) सर्व शिक्षा अभियान में शहरी एवं ग्रामीण परिवेश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अभावग्रस्त बच्चों के लिये वार्षिक परीक्षा से तीन माह पूर्व विशिष्ठ अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान में मुख्य तीन विषयों में से प्रथम प्राक्षिण आठ दिवस का विषय वस्तु आधारित होगा । द्वितीय प्रशिक्षण चार दिवस का सहायक सामग्री निर्माण कार्यशाला के रूप में होगा एवं शेष आठ दिवस का प्रशिक्षण शिक्षक मासिक बैठक के रूप में आयोजित किया जायेगा ।

(ब) पैराटीचर का आधारभूत प्रशिक्षण ::–

जिले में नामांकन आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयोां में अतिरिक्त पैराटीचर्स की नियुक्ति की जायेगी । राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षाकर्मी एवं वैकल्पिक विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान में प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन किया जायेगा । परिवर्तन के फलस्वरूप वहां एक नियमित शिक्षक एवं चार पैरा टीचर्स की नियुक्ति की जायेगी । इन नवनियुक्त पैरा टीचर्स को शिक्षण विधाओं की जानकारी देने उनमें शैक्षिक कौशल विकसित करने, समसामयिक नवाचारों का ज्ञान कराने एवं सकारात्मक सोच विकसित करने, समसामयिक नवाचारों का ज्ञान कराने एवं सकारात्मक सोच विकसीत करने के लिये प्रथम वर्ष में 41 दिवस, दूसरे वर्ष में तीस दिवस एवं तीसरे वर्ष में 10 दिवस का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

अध्याय – 7
विशिष्ठ फोकस ग्रुप

डूँगरपुर जिले में विशिष्ठ फोकस ग्रुप में रोजगार हेतु पलायन को मजबूर परिवार, घुमंतु परिवार भूमिहीन मजदूर, गाडिया लोहार, शहरी कच्ची बस्तियों एवं विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है । इन जातियों के बच्चे आज भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं जिन्हें शिक्षा से जोड़ कर ही शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है । इस हेतु विशिष्ठ कार्य योजना बना कर इन्हें शिक्षा से जोड़ने के सतत् प्रयास किया जा रहा है । इसके लिये शिक्षा आपके द्वार अभियान के द्वारा औपचारिक शिक्षा एवं लोक जुम्बिश परिषद् के द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं । जिससे की यह वर्ग पूर्णतः लाभान्वित हो सके । वैकल्पिक विद्यालयों को खोलते समय इस समय की बस्तियों को विशेष प्राथमिकता दे कर चयन किया गया है ।

- **जेण्ड़र संवेदनशीलता ::–**

जेण्ड़र संवेदनशीलता समाज की महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच, महिला एवं पुरूषों की समानता, लिंगानुपात, महिला एवं पुरूषों में सत्ता की भावना, महिला एवं पुरूषों में कार्य के विभाजन, उनके अधिकार एवं कर्त्तव्य के बारे में लिंग भेद के बारे में, समाज में महिला एवं पुरूषों के बेहतर रिश्तों के बारे में एवं बालक एवं बालिकाओं के बारे में बात करता है । जेण्ड़र संवेदनशीलता के बारे में हम मानचित्र तैयार होने पर जिज्ञासा होने पर अवसर प्राप्त होने पर, अनुकूल परिस्थितियों तथा ग्राह्य मार्गदर्शन मिलने पर ही सीख पाते हैं । सर्व शिक्षा अभियान में इन परिस्थितियों को विशेष रूप से उभारा गया है ।

नवाचार ::–

✸ आवासीय बालिका शिक्षण शिविर ::–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत 10 से 14 आयु वर्ग की विभिन्न कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रही बालिकाओं को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये आवासीय बालिका शिक्षण शिविरों का आयोजन किया जायेगा । वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा जिहले में इस तरह के आवासी बालिका शिक्षण शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं एवं चल रहे हैं । उक्त शिविरों की लगभग शत–प्रतिशत सफलता को देखते हुये एवं जिले में अधिकांश बालिकाओं के काम काजी होने एवं पलायन की समस्या होने से शिक्षा से वंचित रही बालिकाओं को पॉचवीं स्तर तक की शिक्षा कम समय में उपलब्ध कराने हेतु यह एक अहम् उपाय होगा ।

✱ उपचारात्मक शिक्षण शिविर ::–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत ई. जी. एस. एवं सहज शिक्षा, शिक्षा मित्र केन्द्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक संबल प्रदान करने हेतु विषय वस्तु आधारित आवासीय उपचारात्क शिक्षण शिविर लगाने का प्रावधान है । इन शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में सफलता मिलेगी साथ ही यह शिविर बालकों के सर्वागीण विकास के लिये सहायक सिद्ध होगें ।

✱ डिसेबल्ड् बालक/बालिकाओं के लिये समेकित शिक्षा ::–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत डिसेबल्ड् (विकलांग) बालक–बालिकाओं के लिये निम्न लिखित कार्ययोजना स्वीकार की गयी है ।

- ✓ सर्वे कराना
- ✓ डिसेबल्ड् बच्चों की पहचान करना
- ✓ बच्चों के असेसमेंट करना
- ✓ सहायता एवं उपकरण
- ✓ रचनात्मक विभेद दूर करना

उक्त बिन्दुओं के आधार पर डिसेबल्ड् बच्चों की पहचान की जा कर उनके औपचारिकशिक्षा से जोड़ना ही अभियान का दृष्टिकोण है । इस अभियान में रचनात्मक भेद को दूर करने एवं उन्हें एड एवं एप्लाईन्सेज उपलब्ध कराना सम्मिलित है । इस ग्रुप को को भी विशिष्ठ फोर्स ग्रुप में रखा गया है । परंतु उनकी परिस्थितियों के मद्देनजर आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाती है । जिससे वे शिक्षा ग्रहण कर सकें । इनके लिये सर्व शिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा की व्यवस्था दी गयी है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रतिवर्ष प्रति विकलांग बालका को 1200/– रूपये देय होगें । डूॅंगरपुर जिले के समस्त बालक–बालिकायें इससे प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे ।

✱ अनुसूचित जाति/जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिये शिक्षा ::–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत अनुसूचित जाति–जनजाति के बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है । आज भी ये वर्ग शिक्षा की व्यवस्थाओं से वंचित हैं और सार्वजनिकरण के उत्थान बाबत् विशेष प्रावधान किया गया है । सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है । इन जातियों के लिये ई.सी.ई. केन्द्र खोलते समय भी प्राथमिकता का प्रावधान रखा गया है । डूॅंगरपुर जिले में इन जातियों के बच्चों को विशिष्ठ सुविधायें दिया जाना प्रस्तावित है ।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
No.

✸ घुमंतु परिवार वाले बालकों के लिये शिक्षा ::–

डूँगरपुर जिले में घुमंतु परिवार, आदिवासी, बंजारा, कालबेलिया, कंजर एवं गाडिया लोहार हैं । इन जातियों के बच्चे शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था से आज भी परे हैं । सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत ऐसी जातियों को शिक्षा मुहैया कराने के लिये आवासीय ब्रिज कोर्स सार्थक प्रयास सिद्ध होगा । घुमंतु परिवार रोजगार की तलाश में निश्चित अवधि तक बाहर चले जाते हैं और पुनः लौट आते हैं । इसलिये इन जातियों के बच्चों को आवासीय ब्रिज कोर्स में प्रवेश दिलवाकर शिक्षित कर सकते हैं । ध्यान रहे कि इन जातियोां के बच्चे हार्ड ग्रुप से संबंधित हैं । इसलिये इनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये इनके निवास अवधि में इनसे नियमित सम्पर्क किया जाना प्रस्तावित है । ये जातियां विश्वास उत्पन्न होने पर ही अपने बच्चों को ब्रिज कोर्स में प्रवेश दिलाकर सार्वजनीकरण के लक्ष्य की उपलब्धि में सहायक सिद्ध हो सकता हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत घुमंतु बालक/बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु 3000/– रूपये प्रति बालक/बालिका दिये जाने का प्रावधान किया गया है । परंतु इसमें अधिकतम 100 बालक–बालिकाओं को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जायेगा ।

✸ कामकाजी बच्चों के लिये शिक्षा ::–

डूँगरपुर जिले में डूँगरपुर एवं सागवाड़ा ही शहरी क्षेत्र हैं । इन क्षेत्रों में कामकाजी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं । इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी 11–14 आयु वर्ग के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से परे हैं । इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी 11–14 आयु वर्ग के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से परे हैं । इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत दी जानी हैं । इस हेतु कौशल अभिवृद्धि हेतु व्यवसायिक पाठ्यकम शुरू किया जाये जिससे अभिभावक अपने बच्चों के रोजगार के प्रति आश्वस्त हो कर बच्चों को विद्यालय भेजेंगे ।

✸ पालना घर ::–

डूँगरपुर जिले में अधिकांश महिलायें दिहाडी मजदूरी का कार्य करती हैं । एवं घर पर अपने छोटे बच्चों की सार संभाल के लिये 6 से 14 आयु वर्ग के बड़े बच्चों को मजबूरी में पढाई छुडवा कर घर पर रख जाती हैं । यदि पालनाघर खोले जायें जिसमें छोटे बच्चों की सार संभाल के साथ साथ उन बडे बच्चों को शिक्षा भी मिले तो वे माताएं सहजता से ऐसे केन्द्रों पर अपने बच्चों को भेजेंगी ।

✸ विकलांगों के लिये विशेष कार्यकम ::–

समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित विकलांग बालकों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत् शिक्षा की मुख्य धारा में जोडने के लिये कुछ विशेष कार्यकम चलाये जायेंगे उनके लिये छात्रावास

सुविधा हों तथा शैक्षणिक आवासीय शिविरों तथा विद्यालयों में रैंप तथा शौचालय सहायक शिक्षण सामग्री उनकी पहुँच के अनुरूप हों इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा । आवासीय शिविरों में इन्हें कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था एवं उपकरण उनकी विकलांगता के अनुरूप उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जायेगा साथ ही विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक, कियात्मक गतिविधियों एवं खेलकुद प्रतियोगिता का आयोजन विकलांग बच्चों के बाल मेलों के माध्यम से किया जायेगा ।

✸ स्वयं सेवी संस्थाओं का योगदान :–

डूँगरपुर जिले में स्वतंत्रता से पूर्व ही जिस संस्था ने शिक्षा की अलख जगाई थी । वह राजस्थान सेवा संघ था । तब से ले कर आज समय तक अनवरत रूप से यह संस्था इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिये प्रयत्नशील है । अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं जन शिक्षा एवं विकास संगठन, वनवासी कल्याण परिषद्, वागड जलजागृति सेवा संस्थान इत्यादि मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं । इन संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने, संबलन प्रदान करने, आधारभूत शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, शिक्षा केन्द्र खोल कर वंचित बालकों को शिक्षा से जोड़ने से संबंधित कई कार्यकम एवं योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं । निश्चित रूप से इस जिले के बदले हुये शैक्षिक परिदृश्य के परिवर्तन में इन स्वयं सेवी संस्थाओं की अहम् भूमिका रही है ।

अध्याय – 8
अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन

शिक्षा जगत में क्वालिटी एजुकेशन के लिये निरतंर नवीन नवाचारों का अनुसंधान किया जा रहा है । इन अनुसंधानों के आधार पर प्राप्त विषयवस्तु के मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोंधन की आवश्यकता होती है । इसी कड़ी में शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये सर्वशिक्षा अभियान में क्वालिटी एजुकेशन पर बल दिया गया है । पाट्यक्रम, पाठ्य पुस्तक विकास, अध्यापक प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष प्रकिया का नियमित मूल्यांकन एवं मोनिटरिंग विशेष रूप से आवश्यक है । इस प्रयास में कम्यूनिटी का कार्य महत्वपूर्ण होता है । बच्चों की प्रगति एवं मोनिटरिंग में विशेष आवश्यकता है । वी. ई. सी., पी. टी. ए., एस. ई. सी., एम. टी. ए. एवं एम. एस. सी. आदि को मासिक मिटिंग / पाक्षिक मिटिंग का आयोजन कर सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत बच्चों की सीख उपलब्धि (लर्निंग ऐचीवमेंट) एव। प्रगति की जानकारी हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हर तीन वर्ष में सामयिक पर्यवेक्षण का प्रबंध किया जाना है ।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षण अधिगम गुणवत्ता सुधार हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर रिसर्च ग्रुप्स का गठन किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत राज्य, जिला ब्लॉक एवं संकुलों पर गठित संदर्भ समूह एस. सी. ई. आर. टी., डायट, बी. ई. ओ., बी. आर. सी. एवं सी. आर. सी. का पी. एम. आई. एस. की सूचनाओं के संबंध में कार्य करेगा ।

गुणवत्ता से संबंधित इन्टरवेन्शन की नीति, आयोजना, कियान्विति एवं मॉनिटरिंग का पर्यवेक्षण करेगा । इस ग्रुप का मुख्य कार्य पाठ्यक्रम विकास, अध्यापन, प्रशिक्षण एवं कक्षा कक्ष से संबंधित अन्य गतिविधियों में सलाह एवं मार्गदर्शन करना है ।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है । जिनके माध्यम से ही गुणवत्ता शिक्षा में सुधार एवं क्रमार्न्तगत अधिगत की वास्तविक स्थिति मापी जा सकती है ।

✸ प्रबोधन (एम. आई. एस.) ::–

✸ भूमिका ::–

किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रबंधन हेतु एक मजबूत और उत्तरदायी प्रबोधन तंत्र का होना आवश्यक है । प्रबोधन सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य है । जिसके द्वारा योजना का सफल संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है । इस कार्य को मूर्त रूप एवं गति देने हेतु जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत् प्रबोधन (एम. आई.एस.) हेतु तीन (3) मुख्य कार्यक्रमों को संपादित किया जायेगा ।

1– शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र (EM I S)

2– योजना प्रबंधन सूचना तंत्र (P M I S)

3– वित्त प्रबंधन सूचना तंत्र (F M I S)

प्रबोधन के उद्देश्य ::–

- ✓ प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की समस्त जानकारियां जिला स्तर पर हर वर्ष ज्ञात करना व उनका समय पर विशलेषण करना ।
- ✓ नामांकन एवं ठहराव की मॉनिटरिंग करना ।
- ✓ विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की परिलब्धियां एवं उपलब्धियां ज्ञात करना जिसमें छात्राओं और सामाजिक संगठनों पर विशेष ध्यान रखना ।
- ✓ सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कियान्वित हो रहे सभी कार्यों की मॉनिटरिंग करना ।

➢ शैक्षिक प्रबंधन सूचना तंत्र **(E M I S)**

जिला स्तर पर ई. एम. आई. एस. के अर्न्तगत 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक गांव एवं विद्यालय की सूचना **NIEPA** द्वारा निर्धारित **D I S E 2001** के प्रपत्रों में एकत्रित की जायेगी । गांव की सूचनायें हर 3 वर्ष बाद एवं विद्यालय की सूचनायें प्रत्येक वर्ष एकत्रित की जायेगी । ये सूचनायें संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एस. एम. सी. के अध्यक्ष, सी. आर. सी. एफ. एवं बी. आर. सी. एफ. द्वारा प्रमाणित की जायेगी ।

ई. एम. आई. एस. के अर्न्तगत मुख्य बिंदु निम्नानुसार है –

- 6 से 14 आयु वर्ग के नामवार नामांकित करना
- अध्ययनरत एवं शिक्षा से वंचित बालक – बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करना
- अध्यापकों की जानकारी देना

- छात्रों की विभिन्न विषयों में विशेष कार्यों एवं योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करना
- नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा समाप्ति की जानकारी देना
- विद्यालय छात्र अनुपात, कक्षा कक्ष छात्र अनुपात एवं शिक्षक छात्र अनुपात ज्ञात करना ।
- विभिन्न हैड्स में प्रगति की जानकारी प्रोजेक्ट के अनुसार ज्ञात करना ।
- सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्ति दर एवं आंकड़ों का विशलेषण करना
- समय–समय पर समस्त सूचनाओं का आदिनांक करना जिससे की प्रगति की सही समीक्षा की जा सके ।

➢ **योजना प्रबंधन सूचना तंत्र (P M I S)**

प्रभावी योजना बनाने हेतु सही एवं समयबद्ध सूचना प्राप्त करना एक कठिन एवं जटिल मुद्दा है । सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कियान्वयक एवं प्रबंधन हेतु जिला स्तर पर योजना प्रबंधन सूचना तंत्र (पी. एम. आई. एस.) के द्वारा समस्त सूचनायें समय–समय पर एकत्रित की जायेंगी । योजना प्रबंधन सूचना तंत्र के अर्न्तगत विभिन्न हेड्स के लक्ष्य एवं उनके प्राप्ति के बारे में जानकारी ली जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान में पी. एम. आई. एस. के द्वारा उच्च प्रबंधन को योजना बनवाने एवं उसके कियान्वयन में सुविधा प्राप्त होगी । इस हेतु पी. एम. आई. एस. के द्वारा समस्त सूचनायें एक साथ प्राप्त की जा सकेंगी ।

➢ **वित्त प्रबंधन सूचना तंत्र (F. M. I. S.)**

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत सही वित्त प्रबंधन एक महत्वपूर्ण एवं जटिल मूद्दा है । इस कार्य हेतु वित्त प्रबंधन सूचना तंत्र (F. M. I. S.) के द्वारा जिला स्तर पर वित्त संबंधी समस्त खर्चे एवं प्राप्ति की जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं । लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा इस कार्य हेतु एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर बनवाया गया है जिसके अर्न्तगत खर्चे, प्राप्तियां, बजठ एस्टिमेशन, बजट एलोटमेंट इत्यादि कार्य प्रभावी ढंग से संपादित किये जा सकते हैं ।

➢ वित्त प्रबंधन हेतु विभिन्न रिपोर्ट्स जैसे केश बुक, लेजर, कोषप्रवाह, चेक ईश्यु, ट्रायल बैलेंस इत्यादि समस्त जानकारियां एक साथ एक ही जगह प्राप्त की जा सकती है । अतः वित्त प्रबंध सूचना तंत्र (F. M. I. S.) वित्त प्रबंधन हेतु एक प्रभावी एवं सुदृढ सूचना तंत्र है ।

6.15 प्रबोधन कार्मिक (M.I.S. Staff)

प्रभावी प्रबोधन व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर लोक जुम्बिश परियोजना में कार्यरत एम. आई. एस. प्रभारी एवं दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर समस्त कार्य करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जिला स्तर पर उक्त स्टॉफ (एम. आई. एस. प्रभारी एवं दो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य संचालन हेतु आवश्यक हैं । इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत होंगे ।

6.16 प्रबोधन संसाधन ::–

सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी प्रबोधन हेतु लोक जुम्बिश परियोजना में उपलब्ध दो कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर सिस्टम की जिला स्तर पर आवश्यकता है । ब्लॉक स्तर पर प्रभावी प्रबोधन हेतु एक – एक कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यकता है ।

अध्याय – 9
प्रबंधन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

9.1 भूमिका ::–

सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । जिसके द्वारा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । आज की परिस्थितियों में भी दूर दराज के कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिये श्रेष्ठ प्रबंधन एवं प्रबोधन अत्यावश्यक है । इसके अभाव में शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य असंभव एवं दुरूह होने के साथ–साथ स्वपनिल बन कर रह जायेगा । ऐसी स्थिति से दृढता एवं मजबूती से निबटने के लिये जिला स्तर पर प्रबंधन एवं प्रबोधन की महत्ती आवश्यकता है ।

9.2 जिला स्तर पर प्रबंधन ::–

जिला स्तर सर्व शिक्षा अभियान की कियान्विती हेतु स्टॉफ की आवश्यकता निम्नानुसार प्रतिपादित की जाती है ।

तालिका कमांक ::–32

क. सं.	पद का नाम	संख्या	ग्रेड़	लागत ईकाई
1	जिला परियोजना समन्वयक	1	9000-14400	16000
2	सहायक जिला परियोजना समन्वयक	4	8000-13500	15000
3	सहायक अभियंता	1	8000-13500	14000
4	कार्यक्रम सहायक	3	6500-10500	11000
5	सहायक लेखाधिकारी	1	6500-10500	13000
6	एम. आई. एस. इंचार्ज	1	6500-10500	7000 निर्धारित
7	कनिष्ठ अभियंता	1	5500-9000	12000
8	लेखाकार	1	5500-9000	10000
9	कनिष्ठ लेखाकार	1	5000-8000	9000
10	खंजाची कम भंडार प्रभारी	1	4000-6000	7500
11	कार्यालय सहायक	4	4000-6000	4000 निर्धारित
12	डेटा एन्टी ऑपरेटर	2	4000-6000	4000 निर्धारित
13	सहायक कर्मचारी	6	2550	2550 निर्धारित

9.3 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा. शि.) से समन्वय ::–

जिले में शिक्षा की व्यवस्था के श्रेष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्राशि) के निहित है । इनके अधीन जिला मुख्यालय पर अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य स्टॉफ कार्यरत है ।

जिला परियोजना कार्यालय में जिला परियोजना समन्वयक व अन्य स्टॉफ कार्यरत हैं । ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी तथा शिक्षा विभाग के ब्लॉक कार्यालय में अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा. शि.) का कार्यालय स्थित है । संकुल स्तर पर संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी का पद सृजित है ।

शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण एवं मोनिटरिंग का दायित्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा. शि.) में निहित है । वहीं उसे मजबूती प्रदान कर गुणवत्तापूर्ण एवं आनंददायी शिक्षा जिला परियोजना समन्वयक का गुरूत्तर दायित्व है ।

विभिन्न स्तरों पर समन्वय

शिक्षा विभाग
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा. शि.)
एवं
स्टॉफ
↓
अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा. शि)
एवं
स्टॉफ
↓
विद्यालय

सर्व शिक्षा अभियान
जिला परियोजना समन्वयक
एवं
स्टॉफ
↓
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी
एवं
स्टॉफ
↓
संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी
एवं
स्टॉफ
↓
विद्यालय

➢ उक्त वर्णित तालिका प्रदर्शित करती है कि सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग के एवं शिक्षा विभाग के समन्वय सहयोग से ही शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को शत–प्रतिशत हासिल किया जा सकता है । दोनों कार्यालयों में आपसी तालमेल का होना नितांत आवश्यक एवं समय की मांग है । जिस प्रकार एक गाड़ी के सुचारू संचालन एवं नियंत्रण दोनों पहियों पर निर्भर करता है ठीक उसी प्रकार की स्थिति उक्त कार्यक्रमों में शिक्षा के लक्ष्यों को अर्जित करने की दशा में होनी चाहिये ।

➢ उक्त तालिका यह भी प्रदर्शित करती है कि सर्व शिक्षा अभियान दोनों की एक लक्ष्य :

अंतिम सीढ़ी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का नामांकन, ठहराव, क्षमताओं का विकास एवं गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ अभी भी शिक्षा से वंचित रहने वाले वर्गों को जोड़ना है ।

➢ विद्यालयों का निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता हैं और भौतिक सुविधाओं एवं संसाधनों सहित नवाचारों की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रदत्त की जायेगी ।

अतः विभिन्न कार्यक्रमों को गति देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सार्वजनिकरण आंकड़ों के सही एवं वैद्य एकत्रीकरण हेतु दोनों का समन्वय आवश्यक है । सर्व शिक्षा अभियान दोनों के बेहतर तालमेल का पक्षधर हैं जिससे लक्ष्य हासिल किया जा कर समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सके ।

9.4 जिलाशासी परिषद् (डी. जी. सी.) ::–

जिले में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित शासी परिषद् जिला परियोजना कार्यालय से संबंधित नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित विभिन्न मामलों की प्रोग्रेस एवं नीतिगत मामलों की देखभाल करेगी । इसकी बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी । इस समिति में जनप्रतिनिधि विभिन्न विभागों के सदस्य, शिक्षाविद्, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सहित शिक्षक संघ प्रतिनिधि होगें । जिला परियोजना समन्वयक शासी परिषद् का सदस्य सचिव होगा । शासी परिषद् का गठन निम्नानुसार होगा –

9.5 *जिला निष्पादन समिति ::–*

जिला निष्पादन समिति में विभिन्न विभागों के सदस्य होगें तथा समिति का नेनृत्व जिला कलेक्टर का होगा । इसकी बैठक त्रैमासिक होगी तथा यह समिति जिला योजना के कियान्वयन की मोनिटरिंग करेगी । यह समिति जिला परियोजना कार्यालय को नये स्कूल भवनों, संकुल संदर्भ केन्द्रों एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्रों के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध करायेगी ।

जिला निष्पादन समिति के सदस्य ::–

❖ जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
❖ अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास)	सदस्य
❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
❖ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
❖ प्राचार्य (डायट)	सदस्य
❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा. शि.)	सदस्य
❖ सचिव जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा	सदस्य
❖ अधिशाषी अभियंता (पी.एच.ई.डी.)	सदस्य
❖ अ [illegible] अधिकारी (पी. ड्ब्ल्यू. डी.)	सदस्य
❖ समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
❖ जन संपर्क अधिकारी	सदस्य
❖ परियोजना निदेशक (आई . सी. डी. एस.)	सदस्य
❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा. शि.)	सदस्य
❖ शिक्षाविद् (दो नामित)	सदस्य
❖ सहायता प्राप्त विद्यालय प्रतिनिधि	सदस्य
❖ अध्यापक संगठन प्रतिनिधि (नामित)	सदस्य
❖ अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रा. शि.)	सदस्य
❖ जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य

9.6 जिला संदर्भ समूह ::–

जिला संदर्भ समूह सर्व शिक्षा अभियान को रचनात्मक सुझाव एवं सहायक उपलब्ध करायेगा तथा निम्नलिखित उद्देश्यों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ।

- जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रकाशित साहित्य यथा– ब्रुसर्स, फोल्ड्र्स, तथा पोस्टर्स का आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषण करना एवं सुझाव देना ।
- विभिन्न कंपोनेंटस के अनुसार नवाचार कार्यक्रम (इनोवेटिव प्रोग्राम्स) सुझाना
- गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों तथा सर्व शिक्षा अभियान के मध्य बेहतर तालमेल का परीक्षण करना ।
- अनुवर्तन कार्यक्रम (फोलोअप प्रोग्राम) अमल में लाना

जिला संदर्भ समूह के सदस्य ::–

❖ प्रधानाचार्य डायट	संयोजक
❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा. शि)	सदस्य
❖ जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी	सदस्य
❖ जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य
❖ गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि (दो)	सदस्य
❖ समाचार संवाददाता (दो)	सदस्य
❖ शिक्षाकर्मी सहयोगी	सदस्य
❖ महिला प्रतिनिधि (शिक्षा विभाग)	सदस्य
❖ पेडागॉजी / ट्रेनिंग / ए.एस. / जेण्डर एवं ई.सी.ई. (दो प्रतिनिधि)	सदस्य
❖ संबंधित कार्यक्रम प्रभारी	सदस्य

9.7 खंड संदर्भ केन्द्र ::–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत डूँगरपुर जिले में पॉच ब्लॉकों पर खंड़ संदर्भ केन्द्र कार्यालय होगा जो कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण, शैक्षिक योजना एवं सहयोग, निरीक्षण तथा प्रकिया की मॉनिटरिंग करेगा । प्रत्येक ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर दो संदर्भ व्यक्ति, एक सहायक अभियंता, एक स्टेनों कम कम्प्यूटर ऑपरेटर, कनिष्ठ लिपिक एक और एक सहायक कर्मचारी होगा । खंड संदर्भ केन्द्र सभी प्रशिक्षण देने वालों का प्रशिक्षण लेने वालों को भोजन एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करायेगा ।

बी. आर. सी. के कार्य ::–

- विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करना ।
- संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी का प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- टी. एल.एम. का निर्माण करवाने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति के साथ बैठकें आयोजित करना ।
- वैकल्पिक विद्यालयों के शिक्षा सहयोगियों/पैराटीचर्स तथा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- मूल्यांकन एवं प्रोग्रेंस रिकॉर्ड रखना ।
- विकलांग बच्चों की पहचान एवं शिक्षण व्यवस्था करना ।
- मासिक मिटिंग एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी को सपोर्ट और सुविधा उपलब्ध कराना ।
- शैक्षिक प्रबंध सूचना तंत्र को मजबूती प्रदान करना ।

9.8 ब्लॉक शिक्षा समिति ::–

ब्लॉक शिक्षा समिति ब्लॉक संदर्भ केन्द्र एवं ब्लॉक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेगी एवं ब्लॉक के दूरदराजल स्थानों पर शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में योगदान करेगी । इस समिति के सदस्यगण निम्नानुसार होगें ।

ब्लॉक शिक्षा समिति (बी. ई. सी.)

❖	प्रधान पंचायत समिति	अध्यक्ष
❖	सरपंच (पुरूष)	सदस्य
❖	सरपंच (दो महिला)	सदस्य
❖	जिला परिषद् सदस्य (1 पु + 1 म)	सदस्य
❖	पंचायत समिति सदस्य (1 पु + 1म)	सदस्य
❖	शिक्षाविद्	सदस्य
❖	अल्पसंख्यक प्रतिनिधि	सदस्य
❖	उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य
❖	बाल विकास परियोजना अधिकारी	सदस्य
❖	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य

❖	प्रचेता	सदस्य
❖	शिक्षा प्रसार अधिकारी	सदस्य
❖	अतिरिक्त विकास अधिकारी	सदस्य
❖	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

9.9 संकुल संदर्भ केन्द्र ::–

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत डूँगरपुर जिले में 30 संकुल संदर्भ केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इन संकुल केन्द्रों पर शैक्षिक मजबूती प्रदान करने हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी का पद सृजित किया गया है । इन केन्द्रों पर अध्यापकों की मासिक मिटिंग, विद्यालय प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण, भवन निर्माण समिति सदस्यों का प्रशिक्षण, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और आंगनवाडी सहायिकाओं के विभिनन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं ।

सी. आर. सी. के कार्य ::–

- विद्यालय प्रबंधन समिति की सहायक से नामांकन, ठहराव और गुणवत्ता की स्थिति में सुधार लाना ।
- मासिक बैठक में औपचारिक सकूलों को सपोर्ट और सुविधा पर विचार एवं मनन करना ।
- विभिन्न ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी
- पंचायती राज संस्थाओं , भवन निर्माण समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को मजबूती प्रदान करना ।
- विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के लिये सुक्ष्म नियोजन एवं मानचित्रण का प्रशिक्षण आयोजित करना ।

9.10 संकुल संदर्भ केन्द्र ::–

शैक्षणिक व्यवस्था के उन्ननयन एवं गुणवत्तापूर्ण आनंददायी प्रशिक्षण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु संकुल संदर्भ केन्द्र पर संकुल संदर्भ समूह का गठन किया गया है जिसमें संकुल परिधि के विभिन्न विषयों यथा विज्ञान गणित अंग्रेजी हिन्दी पर्यावरण आदि के विशेषज्ञ चयनीत किये गये हैं । यह समुह मासिक बैठकों में औपचारिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रेरण का कार्य करेगा । संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी संकुल संदर्भ समुह के सुझावों पर अमल कर कियान्विति करेगा ।

9.11 विद्यालय प्रबंध समिति ::–

विद्यालय प्रबंध समिति गांव के विद्यालयों में निर्माण कार्यों की देखभाल एवं विद्यालय के निरीक्षण को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगी । प्रत्येक एस. एम. सी. को विद्यालय के कोष सुधार हेतु 2000 रूपये प्रतिवर्ष देय होगें । इस समिति को त्रिदिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । यह समिति जिले से बाहर तीन दिवस का भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती है ।

विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य ::–

- विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों में से भवन निर्माण समिति के सदस्यों को गठन करना ।
- अधिकतम नांमाकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना
- वैकल्पिक विद्यालयों एवं आंगनवाडी केन्द्रों की देख रेख करना ।
- बाल मेला कला जत्था तथा मिटिंगों का अयोजन करना ।
- विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण एवं समय पालन सुनिश्चित करना ।

विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य ::–

❖ सरपंच/वार्ड पंच	अध्यक्ष
❖ अनुसूचित जाति प्रतिनिधि	सदस्य
❖ अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि	सदस्य
❖ अल्प संख्यक /ओबीसी प्रतिनिधि	सदस्य
❖ महिला ऐक्टिविस्ट सदस्य	सदस्य
❖ आंगनवाडी कार्यकर्ता	सदस्य
❖ सेवानिवृत्त शिक्षक/कार्मिक	सदस्य
❖ युथ कल्ब प्रतिनिधि	सदस्य
❖ अभिभावक महिला	सदस्य
❖ अभिभावक पुरूष	सदस्य
❖ प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय	सदस्य सचिव

9.12 भवन निर्माण समिति ::–

विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में से पॉच सदस्य भवन निर्माण समिति में सम्मिलित किये गये हैं । जो निर्माण संबंधी कार्यो की देखभाल करेंगे । इस समिति को संकुल स्तर पर तीन दिवस का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा इसके संभागियों की संख्या 5 होगी ।

भवन निर्माण समिति के सदस्य

❖	वार्ड पंच/सरपंच	अध्यक्ष
❖	सकिय सदस्य	सदस्य
❖	सकिय सदस्य	सदस्य
❖	सकिय सदस्य	सदस्य
❖	प्रधानाध्यापक	सदस्य सचिव

9.13 कोष प्रवाह ::–

किसी भरी कार्य योजना के सफल कियान्वयन एवं संचालन में कोष की भूमिका अहम् है । बिना कोष योजना की सफलता संदिग्ध ही नहीं अपितु असंभव एवं स्वपनिल भी है । जिला स्तर पर कोष प्रवाह निम्नानुसार होगा

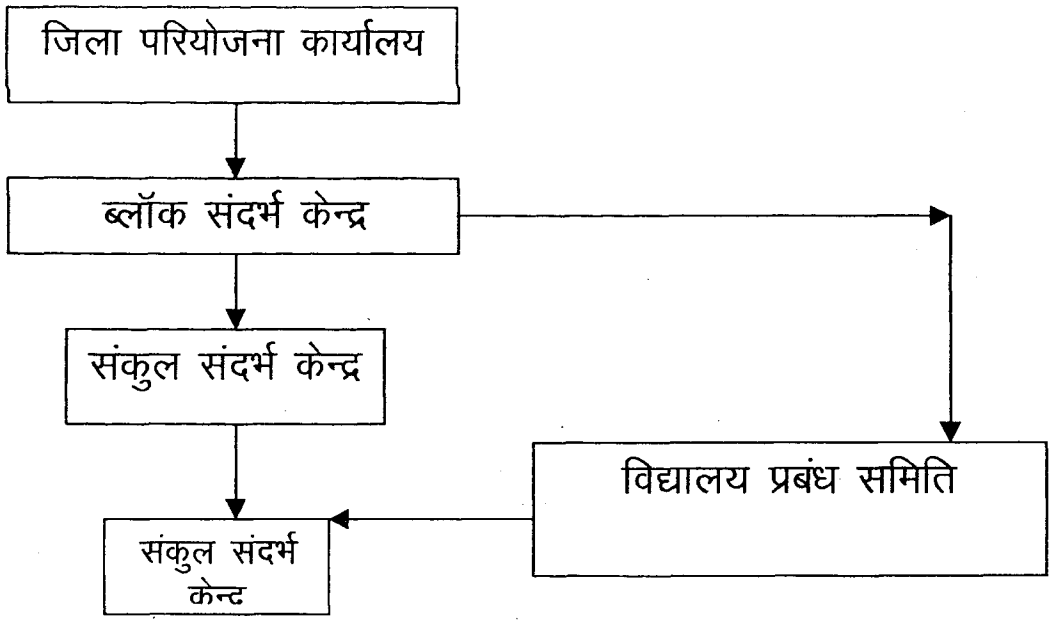

उक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि जिला स्तर से कोष जहां एक तरफ ब्लॉक स्तर, संकुल स्तर तथा विद्यालय स्तर पर पहुँचे वहीं दूसरी तरफ विद्यालय प्रबंध समिति की सीधे देय होगा । विद्यालय प्रबंध समिति उक्त राशि का सदुपयोग विद्यालय में अपने स्तर पर करने में सक्षम होगी । कोष व्यय पर जिला परियोजना कार्यालय का पूर्ण नियंत्रण होगा ।

अध्याय – 10
निर्माण कार्य

10.1 भूमिका ::–

विद्यालय स्तर पर रूचिकर एवं आनंददायी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त मात्रा में आधारभूत भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना सर्व शिक्षा अभियान की पहली प्राथमिकता है । विद्यालय का भौतिक वातावरण एवं परिवेश इतना आकर्षक और प्रभावशाली हो की लर्नर स्वतः ही विद्यालय की ओर आकर्षित हो, तभी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सार्वजनिकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है । इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय में दी जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं यथा – विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय/मूत्रालय/पेयजल सुविधा/चारदिवारी एवं फिसलन पट्टी निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की गयी है ।

10.2 नये विद्यालय भवन –

"6 से 14" आयु वर्ग के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को विद्यालय भवन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु विद्यालय विहीन 838 स्कूल बनवाना प्रस्तावित है । नये विद्यालय भवन में दो कक्षा–कक्षों के अतिरिक्त बरामदा बनवाने का भी प्रावधान है । दो कक्षा कक्ष मय बरामदा बनवाने हेतु 2.85 लाख रूपये की लागत से नया भवन बनवाना प्रस्तावित है ।

तीन कक्षा कक्ष मय बरामदा बनवाने हेतु 3.91 लाख रूपये की लागत से नया भवन बनवाना प्रस्तावित है । विद्यालय प्रबंधन समिति इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगी ।

दो कक्षा कक्षा मय बरामदा

(लागत – 2.85 लाख रूपये)

तालिका क्रमांक ::–33

नये विद्यालय भवन								
वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
संख्या	0	0	2	5	7	0	0	0

(लागत 3.91 लाख रूपये)

तालिका क्रमांक ::–34

तीन कक्षा कक्ष मय बरामदा								
वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
संख्या	0	36	55	59	50	0	0	0

10.3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण ::-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को शिक्षण व्यवस्था हेतु एक कक्षा कक्ष उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । इस कार्य हेतु लोक जुम्बिश परियोजना डूँगरपुर द्वारा करवाये गये डाईस 2001 सर्वेक्षण के अनुसार 1883 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है । यह कक्षा कक्ष छात्रों को शिक्षण व्यवस्था हेतु न्यूनतम जगह उपलब्ध करवाने हेतु कृत संकल्प है । अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु 1.20 लाख रूपये निर्धारित है । अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु 1.20 लाख रूपये निर्धारित है । अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण का दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा ।

तालिका कमांक ::-35

अतिरिक्त कक्षा कक्ष (लागत 1.20 लाख रूपये)								
वर्ष	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
संख्या	0	160	250	300	400	0	0	0

10.4 शौचालय निर्माण ::-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । इस कार्य हेतु लोक जुम्बिश परियोजना डूँगरपुर द्वारा करवाये गये डाईस 2001 सर्वेक्षण के अनुसार 1118 शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता है । यह शौचालय छात्रों को विद्यालय में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक है । शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय 10.00 रूपये निर्धारित है । शौचालय निर्माण का दायित्व भी विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा ।

तालिका कमांक ::-36

शौचालय (लागत 10,000 रूपये)								
वर्ष	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
संख्या	0	100	100	150	150	0	0	0

10.5 पीने के पानी की सुविधा ::-

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 आयु वर्ग के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान है । इस हेतु शहरी क्षेत्र में पी. एच. ई. डी. कनेक्शन द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी और ग्रामीण क्षेत्र में हेंड पंप सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी । ऐसे स्थान जहां पेयजल की अत्यधिक कमी है वहां बरसाती पानी

के एकत्रीकरण हेतु टांका निर्माण की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी डूँगरपुर जिले के समस्त ब्लॉक में 1038 विद्यालयों में पेय जल व्यवस्था उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है । पी. एच. ई. डी. द्वारा पेय जल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 20,000 रूपये का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में हेंड़ पंप व्यवस्था एवं टांका निर्माण हेतु 50,000 रूपये उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । विद्यालय प्रबंधन समिति इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगी ।

पेयजल सुविधा ::–

तालिका कमांक ::–37

पेयजल सुविधा – हैंड़पंप द्वारा पेयजल सुविधा (लागत 50,000 रूपये)								
वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
संख्या	0	50	100	100	150	0	0	0

तालिका कमांक ::–38

पी. एच. ई. डी. द्वारा पेय जल सुविधा (लागत 20,000 रूपये)								
वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
संख्या	0	10	10	10	10	0	0	0

10.6 रैंप निर्माण (Ramp) ::–

शिक्षा क्षेत्र का में शत प्रतिशत उपलब्धि तभी अर्जित होगी जब 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक – बालिका शिक्षा से जुड़े होगें । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकलांग बालक–बालिकाओं को अतिरिक्त सुविधा के रूप में आवश्यकता होने पर रैंप निर्माण करवाया जायेगा । डाईस 2001 के अनुसार डूँगरपुर जिले के समस्त ब्लॉकों में 320 विद्यालयों में रैंप निर्माण की आवश्यकता है । प्रत्येक रैंप की लागत 20,000 रूपये रखी गयी है । यह कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा करवाया जायेगा ।

तालिका कमांक ::–39

रैंप (लागत 20,000 रूपये)								
वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	08–09	09–10
संख्या	0	20	20	20	20	20	20	20

निर्माण कार्य की आवश्यकता एवं पूर्ति ::–

तालिका कमांक ::–40

क्र स.	विवरण	जिले का आवश्यकता	पूर्ति
1	नये विद्यालय भवन	838	214
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1883	1110
3	शौचालय निर्माण	1118	500
4	पीने के पानी की सुविधा हैंडपंप	1038	400
5	पी. एच. ई. डी. /टांका निर्माण	200	40
6	रैंप निर्माण	320	80
7	संकुल संदर्भ केन्द्र भवन निर्माण	35	62
8	खंड संदर्भ केन्द्र भवन निर्माण	5	5
9	प्रधानाध्यापक कक्ष	600	500
10	चारदीवारी निर्माण	500	50 लाख प्रति वर्ष

अध्याय – 11
वित्तीय लागत

SARVA SHIKSHA ABHIYAN ANNUAL WORK PLAN & BUDGET 2003-07

DISTRCT:DUNGARPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	46313	391.345	40229	339.93505	33841	285.95645	27133	229.274	147516	1246.510
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			36		55		35		57			
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	36		55	27.500	35	17.500	57	28.500	183	73.500
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	36	32.400	55	49.500	35	31.500	57	51.300	183	164.700
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	24	28.800	60	72.000	115	138.000	150	180.000	349	418.800
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	36	22.680	55	34.650	35	22.050	57	35.910	183	115.290
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	48	40.320	144	120.960	290	243.600	415	348.600	897	753.480
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	160	192.000	250	300.000	300	360.000	400	480.000	1110	1332.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	50	25.000	100	50.000	150	75.000	200	100.000	500	250.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	23000	23.000	23600	23.600	24200	24.200	24800	24.800	95600	95.600
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56		0.000	2	5.120	5	12.800	7	17.920	14	35.840
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	36	129.600	55	198.000	59	212.400	50	180.000	200	720.000
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	100	10.000	150	15.000	150	15.000	500	50.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	50	25.000	100	50.000	100	50.000	150	75.000	400	200.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	10	2.000	10	2.000	10	2.000	10	2.000	40	8.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	20	4.000	20	4.000	20	4.000	20	4.000	80	16.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	2	12.000	3	18.000		0.000		0.000	5	30.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	31	62.000	31	62.000		0.000		0.000	62	124.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250	50	6.250	50	6.250	50	6.250	200	25.000
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	25	6.250	25	6.250	25	6.250	25	6.250	100	25.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500	50	12.500	50	12.500	50	12.500	200	50.000
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	825	41.250	894	44.700	944	47.200	1080	54.000	3743	187.150
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	328	16.400	364	18.200	419	20.950	454	22.700	1565	78.250
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**												
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	150	15.000	150	15.000	216	21.600	150	15.000	666	66.600
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	150	94.500	150	94.500	216	136.080	150	94.500	666	419.580
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	150	126.000	300	252.000	516	433.440	966	811.440
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	150	27.000	150	27.000	216	38.880	150	27.000	666	119.880

	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	150	30.600	150	30.600	216	44.064	516	105.264
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	150	34.200	150	34.200	300	68.400
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	150	37.800	150	37.800
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	825	16.500	894	17.880	944	18.880	1080	21.600	3743	74.860
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	328	6.560	364	7.280	419	8.380	454	9.080	1565	31.300
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2260	11.300	2560	12.800	2992	14.960	3292	16.460	11104	55.520
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2752	13.760	2922	14.610	3083	15.415	3287	16.435	12044	60.220
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2110		2260	31.640	2476	34.664	2626	36.764	9472	103.068
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2752		2922	40.908	3083	43.162	3287	46.018	12044	130.088
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	363	15.246		0.000		0.000	363	15.246
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	150	3.150	300	6.300	516	10.836	666	13.986	1632	34.272
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2624	1.574	2912	1.747	3352	2.011	3632	2.179	12520	7.512
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	1213	14.556	1213	14.556	1213	14.556	1213	14.556	4852	58.224
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	825	11.550	894	12.516	944	13.216	1080	15.120	3743	52.402
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	328		364	5.096	419	5.866	454	6.356	1565	17.318
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	2.400	1	2.400	1	2.400	3	7.200
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4.080	4	8.160	4	8.160	4	8.160	14	28.560
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	3	4.320	3	4.320	3	4.320	3	4.320	12	17.280
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000	1	1.800	1	1.800	1	1.800	3	5.400
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	1.680	1	1.680	1	1.680	3	5.040
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	4	4.800
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84		0.000	1	0.840	1	0.840	1	0.840	3	2.520
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600	1	0.600	1	0.600	1	0.600	4	2.400
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48		0.000	4	1.920	4	1.920	4	1.920	12	5.760
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0.000	3	0.918	3	0.918	3	0.918	9	2.754
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.306	1	0.306	1	0.306	3	0.918
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	4.200	5	4.200	5	4.200	15	12.600
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	5	7.350	5	9.800	5	9.800	15	26.950
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0.000	15	16.200	15	21.600	15	21.600	45	59.400

	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000	5	5.400	5	7.200	5	7.200	15	19.800
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08		0.000	5	4.050	5	5.400	5	5.400	15	14.850
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	5	2.250	5	3.000	5	3.000	15	8.250
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		0.000	5	1.800	5	2.400	5	2.400	15	6.600
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	5	1.148	5	1.530	5	1.530	15	4.208
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.250		0.000		0.000		0.000	5	4.250
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.600	5	0.600	5	0.600	5	0.600	20	2.400
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	5	0.500	5	0.500	5	0.500	5	0.500	20	2.000
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.200	5	4.200	5	4.200	5	4.200	20	16.800
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	62	55.800	62	74.400	62	74.400	186	204.600
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625	5	0.625	5	0.625	5	0.625	20	2.500
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	5	0.300	5	0.300	5	0.300	5	0.300	20	1.200
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250	5	0.250	5	0.250	5	0.250	20	1.000
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	31	3.100	31	3.100		0.000		0.000	62	6.200
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	31	0.775	62	1.550	62	1.550	62	1.550	217	5.425
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	31	0.744	62	1.488	62	1.488	62	1.488	217	5.208
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	31	0.310	62	0.620	62	0.620	62	0.620	217	2.170
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1000	8.450	800	6.760	600	5.070	400	3.380	2800	23.660
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	328	3.280	364	3.640		0.000		0.000	692	6.920
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	237	4.740	237	4.740	237	4.740	237	4.740	948	18.960
		Grand Total				**1454.909**		**2190.299**		**2566.820**		**3041.229**		**9253.257**
		Total of Civil work				536.600		774.120		806.200		948.920		3065.840
		% of Civil works				36.88		35.34		31.41		31.20		33.13
		Total of Management				33.890		44.184		44.184		44.184		166.442
		% of Management				2.33		2.02		1.72		1.45		1.80

SARVA SHIKSHA ABHIYAN PERSPECTIVE WORK PLAN & BUDGET 2003-07

T:DUNGARPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	46313	391.345		0.000	46313	391.345
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipme its	New UPS	0.5	36	0.000	60	30.000	96	30.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	36	32.400		0.000	36	32.400
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	24	28.800		0.000	24	28.800
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	36	22.680		0.000	36	22.680
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	48	40.320		0.000	48	40.320
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	160	192.000	87	104.400	247	296.400
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	50	25.000		0.000	50	25.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	23000	23.000		0.000	23000	23.000
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	36	129.600		0.000	36	129.600
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	117	11.700	217	21.700
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	50	25.000		0.000	50	25.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	10	2.000		0.000	10	2.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	20	4.000		0.000	20	4.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	2	12.000		0.000	2	12.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	31	62.000		0.000	31	62.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250		0.000	50	6.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	25	6.250		0.000	25	6.250
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	825	41.250		0.000	825	41.250
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	328	16.400		0.000	328	16.400
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	150	15.000		0.000	150	15.000
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	150	94.500		0.000	150	94.500
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	150	27.000	0	0.000	150	27.000
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								

SARVA SHIKSHA ABHIYAN PERSPECTIVE WORK PLAN & BUDGET 2003-07

T:DUNGARPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	10.1	Primary School	Number	0.02	825	16.500	0	0.000	825	16.500
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	328	6.560	0	0.000	328	6.560
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	2260	11.300	0		2260	11.300
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2752	13.760	0	0.000	2752	13.760
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	2110	0.000	0		2110	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2752	0.000	1677	23.478	4429	23.478
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	150	3.150	0	0.000	150	3.150
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2624	1.574	0	0.000	2624	1.574
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	1213	14.556		0.000	1213	14.556
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	825	11.550	0	0.000	825	11.550
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	328	0.000	376	5.264	704	5.264
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	2	4.080		0.000	2	4.080
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	3	4.320		0.000	3	4.320
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	1	1.200		0.000	1	1.200
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	1	0.600		0.000	1	0.600
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000

SARVA SHIKSHA ABHIYAN PERSPECTIVE WORK PLAN & BUDGET 2003-07

T:DUNGARPUR

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	5	4.250		0.000	5	4.250
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	5	0.600		0.000	5	0.600
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	5	0.500		0.000	5	0.500
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	5	4.200		0.000	5	4.200
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	5	0.625		0.000	5	0.625
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	5	0.300		0.000	5	0.300
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	5	0.250		0.000	5	0.250
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	31	3.100		0.000	31	3.100
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	31	0.775		0.000	31	0.775
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	31	0.744		0.000	31	0.744
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	31	0.310		0.000	31	0.310
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1000	8.450		0.000	1000	8.450
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	328	3.280	0	0.000	328	3.280
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	237	4.740		0.000	237	4.740
		Grand Total				**1454.909**		**174.842**		**1629.751**
		Total of Civil work				536.600		116.100		652.700
		% of Civil works				36.88		66.40		40.05
		Total of Management				33.890		0.000		33.890
		% of Management				2.33		0.00		2.08

अध्याय – 12
परियोजना की क्रियान्विती

❖ भूमिका ::–

"सर्वशिक्षा अभियान" एक सघन कार्यक्रम ही नही, शिक्षा के सार्वजनीनकरण सबकी शिक्षा तक आसान पहुंच एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में एक दीर्घकालीन तथा बहुआयामी परियोजना है। ऐसी अन्य परियोजना की तरह ही इस अभियान के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कियान्वयन ही इस कार्यक्रम की सफलता होगी। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान की कियान्वयन हेतु वर्षवार निश्चित कार्यक्रम तय किया जा रहा है।

❖ वर्षवार संपादित की जाने वाली गतिविधियॉ ::–

वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक पहुंच, ठहराव, गुणवत्ता तथा विभिन्न संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया जाना हैं। जिला शासकीय समिति, जिला कार्यकारी समिति, ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबन्धन समितियों के सक्रिय सहयोग तथा जिला ब्लॉक संकुल विद्यालय स्तरीय विभिन्न पदाधिकारियों के समर्पणयुक्त प्रयासों से परियोजना का कार्य चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार समय पर संपादित किया जायेगा।

❖ लोक जुम्बिश परियोजना के अनुभवी स्टॉफ का सहयोग ::–

चूँकि जिले में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्य को समर्पित परियोजना "लोक जुम्बिश" कार्यरत है एवं इसके अंतिम चरण का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत इसे "सर्वशिक्षा" अभियान में ही Merge अर्थात मिला दिया जा रहा है । एतएव परियोजना के इस क्षेत्र विशेष में किये गये इसी दिशा में प्राप्त अनुभवों को सर्वशिक्षा अभियान के धरातल प्रदान करने में काफी सहयोग मिलेगा । लोक जुम्बिश परियोजना से लंबे समय की जद्दोजहद से इस दुर्गम पहाड़ी पिछड़े जनजातिय क्षेत्र में शिक्षा के लिये काफी कुछ किया है । शेष कार्य अब सर्वशिक्षा के माध्यम से किया जा सकेगा ।